www.dhyeyaias.com

मई ➔ 2020 | अंक ➔ 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

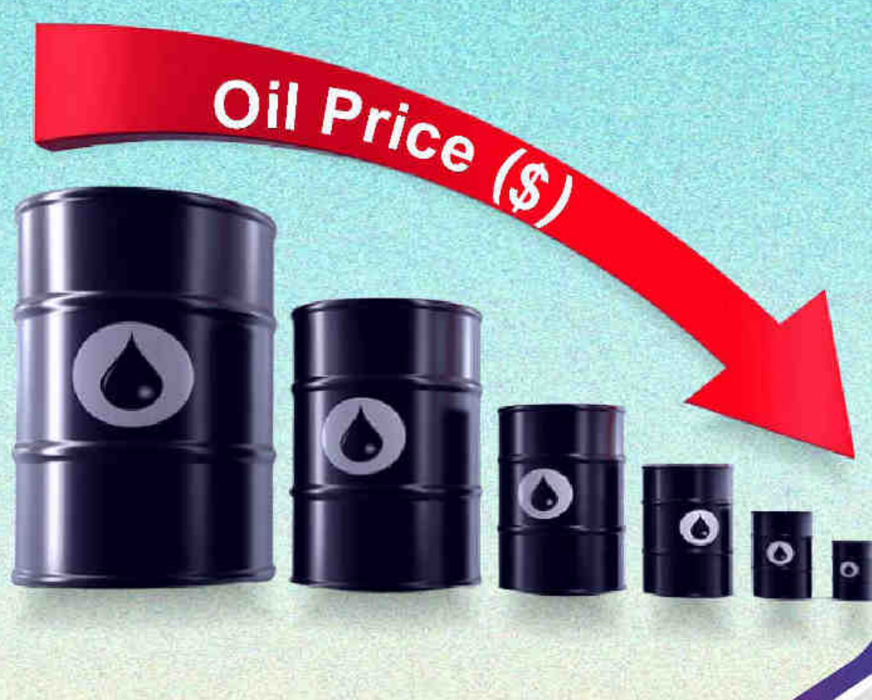

1 कच्चे तेल की लुढ़कती कीमत

शून्य से नीचे

2 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020: आत्मनिर्भरता पर जोर

3 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020: एक अवलोकन

4 हिंद महासागर की महत्ता और भारत की भूमिका

5 भारत में इस्लामोफोबिया : वास्तविकता या दुष्प्रचार

6 भारत की एफडीआई नीति में बदलाव: अवसरवादिता पर अंकुश

7 भारत में धान-मत्स्य कृषि: संवर्द्धन की आवश्यकता

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें ✓

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें ⊗

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं. **+91-11-2397 8046** पर कॉल करें या
ई-मेल करें **ncov2019@gmail.com**

mohfw.gov.in | @MoHFWIndia | @MoHFW_INDIA | mohfwindia

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

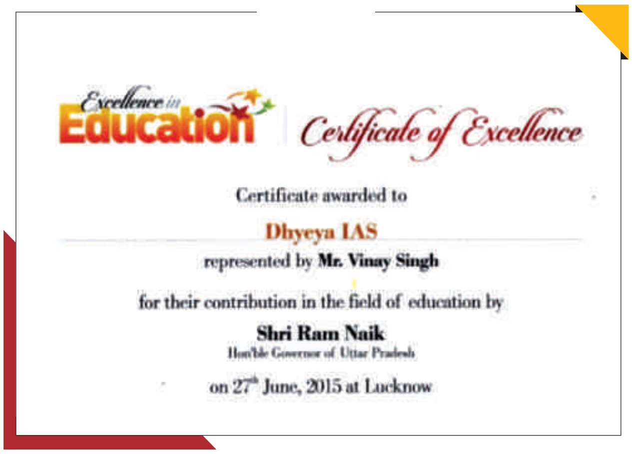

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव अंशुमान तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह स्नेहा तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	विपिन सिंह कृष्ण कुमार निखिल रमेश कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

मई 2020 | अंक 01

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- कच्चे तेल की लुढ़कती कीमत : शून्य से नीचे
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 : आत्मनिर्भरता पर जोर
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 : एक अवलोकन
- हिंद महासागर की महत्ता और भारत की भूमिका
- भारत में इस्लामोफोबिया : वास्तविकता या दुष्प्रचार
- भारत की एफडीआई नीति में बदलाव : अवसरवादिता पर अंकुश
- भारत में धान-मत्स्य कृषि : संवर्द्धन की आवश्यकता

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–28

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 29

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 31

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 कच्चे तेल की लुढ़कती कीमत : शून्य से नीचे

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी कच्चे तेल के बेंचमार्क माने जाने वाले 'वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएट' (West Texas Intermediate-WTI) के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट (Future Contract) की कीमतें न्यूयॉर्क के इंटरले ट्रेड (Interley Trade) में ऋणात्मक 40.32 डॉलर बैरल तक गिर गयीं।

परिचय

- ब्लूमबर्ग (Bloomberge) मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में जो डब्ल्यूटीआई ब्रॉण्ड की प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, वह इतिहास में क्रूड ऑयल की सबसे कम कीमत है। इसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भी क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुईं थीं (ऋणात्मक स्तर तक)।
- वर्तमान में सऊदी अरब, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम विश्व के प्रमुख कच्चे तेल उत्पादक देशों में गिना जाता है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका शेल गैस के उत्पादन के साथ-साथ विश्व का एक बड़ा तेल उत्पादक देश बनकर उभरा है।
- कच्चे तेल का उत्पादन कुछ ही देशों में होता है (यथा-ओपेक सदस्य देश, अमेरिका, रूस आदि) जबकि इसके खरीददार कमोवेश रूप से अन्य सभी देश हैं। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतें अमूमन विश्व बाजार में ऊँची रहती हैं।

तेल की अर्थव्यवस्था

- परम्परागत रूप से कच्चे तेल की कीमतें पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन 'ओपेक' (OPEC) द्वारा नियंत्रित की जाती थी। किन्तु अब रूस के द्वारा भी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन करने से 'ओपेक प्लस' के सिद्धांत ने जोर पकड़ा है, अर्थात् अब कच्चे तेल की कीमतों के निर्धारण में ओपेक और रूस दोनों भूमिका निभाते हैं।
- जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अमेरिका भी पिछले कुछ समय से शेल गैस और कच्चे तेल का बड़े स्तर पर उत्पादन करने लगा है, इसलिए वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें ओपेक, रूस और अमेरिका के मिले-जुले निर्णयों से निर्धारित होती है।
- ओपेक एवं अन्य हितधारक (रूस व अमेरिका) वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को इसकी आपूर्ति (Supply) बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित करते हैं। जब तेल की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है तो इसकी कीमतें कम हो जाती हैं और जब तेल की आपूर्ति कम कर दी जाती है तो वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं।
- तेल उत्पादक देशों का वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की माँग पर नियंत्रण नहीं होता है। कच्चे तेल की माँग, वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, यदि गतिविधियाँ अधिक होगी तो माँग अधिक और कम तो माँग भी कम हो जायेगी।
- क्रूड ऑयल खरीददार और उत्पादक कम्पनी भविष्य के व्यापार के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं ताकि खरीददार को निरंतरता और कम उतार-चढ़ाव की कीमतों के साथ क्रूड ऑयल की प्राप्ति हो सके तथा उत्पादक को भी उत्पादन करने में आसानी हो।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण

- सऊदी अरब और रूस के बीच तनातनी के चलते 'ओपेक प्लस' के तहत होने वाला समझौता रद्द हो गया था। सऊदी अरब ने जान-बूझकर कच्चे तेल को कम कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया; इधर रूस ने भी कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा दिया। इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर गयीं।
- अमेरिका ने सन् 2018 में कच्चे तेल एवं शेल गैस का भारी उत्पादन करके भण्डारण किया था ताकि 'इंडस्ट्री 4.0' के तहत बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित की जा सके और भारी लाभ प्राप्त किया जा सके। किन्तु विभिन्न कारणों के चलते उसी समय से कच्चे तेल की कीमतें विश्व बाजार में कम होती गयीं, अतः आज अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में तेल एवं गैस का संग्रहण उपलब्ध है जो इनकी कीमतों को और कम करने का कारण बन रहा है।
- वर्तमान में कच्चे तेल की कीमतों का कम होने का सर्वप्रमुख कारण कोविड-19

महामारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने-अपने यहाँ लॉकडाउन लगा रखा है।

- लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियाँ न्यूनतम स्तर पर आ गयी हैं और सामाजिक गतिशीलता में भी भारी कमी आयी है। अब सिर्फ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण हो रहा है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की माँग में भारी गिरावट आयी है। माँग के कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ गयी है।
- एक अनुमान के मुताबिक, इस समय वैश्विक स्तर पर तेल की खपत में प्रतिदिन लगभग 30 मिलियन बैरल की गिरावट हो रही है।
- कच्चे तेल के उत्पादक देश या कम्पनियाँ इसके उत्पादन को बंद भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि उत्पादन को बंद करने के बाद पुनः शुरू करने में भारी लागत आती है, अतः उत्पादन कम्पनियाँ इसे सस्ते दामों पर ही बेचने को मजबूर हैं।
- उत्पादित हो रहे कच्चे तेल के भण्डारण की भी समस्या हो रही है, क्योंकि ज्यादातर देश एक सीमित स्तर तक ही तेल का भण्डारण कर सकते हैं। भण्डारण न हो पाने के कारण भी तेल की आपूर्ति पक्ष में कमी नहीं आ पा रही है, इसलिए इसके मूल्य गिर रहे हैं।
- कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा विमानन उद्योग में इस्तेमाल होता था, किन्तु कोविड-19 महामारी के चलते राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें सम्भव नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते कच्चे तेल की माँग में और गिरावट आयी है।

प्रभाव

- वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विश्व और भारत, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा है-

विश्व

- कच्चे तेल की कीमतों में यदि लम्बे समय तक गिरावट बनी रहती है तो इसके उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। इससे न सिर्फ इन देशों की कोविड-19 महामारी से लड़ने की क्षमता प्रभावित होगी बल्कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है।
- पश्चिम एशिया में खाड़ी के देशों में आतंकवाद की जड़ें और मजबूत हो सकती हैं।
- तेल उत्पादक कम्पनियों के पतन से बेरोजगारी की स्थिति में और भी बढ़ावा देखने को मिल सकता है।

भारत

- भारत के बहुत से प्रवासी कामगार खाड़ी देशों में कार्य करते हैं, यदि इन देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो न सिर्फ भारत को कम रेमिटेंस (Remittance) प्राप्त होगा बल्कि खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के लिए आगे चलकर रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है।
- कच्चे तेल की कीमतें कम होने से भारत में चीनी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल चीनी मिलें इथेनॉल का उत्पादन करती हैं ताकि 'इथेनॉल मिश्रित ईधन' को तैयार किया जा सके। अब जब कोविड-19 महामारी के चलते पेट्रोलियम की माँग में कमी आ गयी है तो ईथेनॉल की भी माँग कम हो गयी है।
- भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता की लगभग 80 प्रतिशत पूर्ति कच्चे तेल के आयात द्वारा करता है, अतः वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से भारतीय विदेशी मुद्रा भण्डार पर दबाव कम होगा।
- भारत क्रूड ऑयल का आयात तो करता है किन्तु इसकी प्रोसेसिंग से निर्मित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी करता है, अतः तेल की कीमत कम होने से भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- क्रूड ऑयल की कीमत कम होने से भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ता पेट्रोलियम तेल प्राप्त हो सकता है, इससे उनकी बचत में इजाफा होगा। बचत के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में माँग और निवेश दोनों में ही वृद्धि होती है।

सुझाव

- भारत को क्रूड ऑयल की कम हुई कीमतों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और अपने तेल के रणनीतिक भण्डारों की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए।
- भारत सरकार को क्रूड ऑयल की कम कीमतों के चलते अपने चालू खाता व राजकोषीय घाटा को भी लक्ष्यों के अनुरूप प्रबंधित करना चाहिए।

आगे की राह

- विश्व के सभी देशों को मिलकर आगे चलकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि कच्चे तेल की कीमतों में कम से कम उतार-चढ़ाव हो सके, इससे तेल उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को ही फायदा होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3
Topic: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट देखी जा रही है, इससे विश्व व भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं? समीक्षा कीजिए।

02 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020: आत्मनिर्भरता पर जोर

चर्चा का कारण

- पंचायती राज, भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। ग्रामीण समाज के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राजव्यवस्था 24 अप्रैल, 1993 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। तब से 24 अप्रैल को पंचाचती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पंचायती राज दिवस का 27वाँ वर्षगाठ मनाया गया।
- उल्लेखनीय है कि पंचायत शासन व्यवस्था से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है, जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था का विकास

- प्राचीन काल में भारतीय धर्मशास्त्र जैसे-मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और महाभारत में 'पंचायती राज व्यवस्था' का विवरण मिलता है।
- आधुनिक भारत में 1870 में लार्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया था।
- 1882 ई. में तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तालूका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव था। इस प्रस्ताव को 'स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है।
- 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर स्थानीय स्वशासन को हस्तानान्तरित विषय (इन विषयों को प्रशासन गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह से करता था, जो प्रान्तीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे) के अन्तर्गत रखा गया था।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया था।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को आकार देने के लिए पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गयी तथा एस. के. धर को इसका मंत्री बनाया गया था।
- 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' तथा 1953 में 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा' स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरूद्धार में जनभागीदारी को बढ़ाना था।
- 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 'ग्रामोद्वार समिति' का गठन किया गया था। इसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। इस त्रि-स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर 'ग्राम स्तर पर 'ग्राम पंचायत', प्रखण्ड स्तर पर 'पंचायत समिति' और 'जिला स्तर पर 'जिला परिषद्' के गठन का सुझाव दिया गया था।
- अशोक मेहता समिति वर्ष 1977 में गठित की गई थी। इस समिति ने द्वि-स्तरीय ढाँचे की संस्तुति दी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद् व मण्डल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थे।
- वर्ष 1986 में डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर-दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की।

पंचायती राज (73वां संविधान संशोधन अधिनियम)

- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- इस संविधान संसोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया खंड IX स्थापित कर अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(O) के प्रावधान को सम्मिलित किया गया।
- इसके साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी।
- इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन सदस्यों की अर्हताएँ एवं निरहर्ताएँ, पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व आदि के प्रावधान किए गए।

पंचायती राज अधिनियम (74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम)

- 1993 के 74वें संविधान संशोधन अधि नियम के साथ, शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की शहरी संस्थाएँ होंगी- जो क्षेत्र देहाती से शहरी में परिवर्तित हो रहे वहाँ नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद तथा बड़े क्षेत्रों के लिए नगर निगम।
- संविधान में एक नया भाग (IX)A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई।
- नगरपालिकाओं में चुनाव संपन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग पर होगा।

वर्तमान में पंचायती राज

- ग्रामीण क्षेत्र के निचले तबके को ध्यान में रखते हुए सरकार ऊर्ध्वाधर विकास (Bottom-up development) व सुधार लाने का सतत् प्रयास करती रहती है।
- 2015 में प्रधानमंत्री ने 'सरपंचपति प्रथा' को समाप्त किया, जिसमें महिला सरपंच के स्थान पर महिला का पति ही सरपंच की भूमिका निभाता था।
- 2016 में पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में 'ग्रामोदय से भारत उदय अभियान' आयोजन किया। इसमें सभी पंचायतों को हितधारकों के प्रति कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। वर्ष 2016 में ही पंचायत प्रतिनिधियों ने शहरी सुविधाओं को गाँवों तक लाने, गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने का प्रयास और गाँव में महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

- 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) जैसे- जल आपूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और फुटपाथों के रख-रखाव के लिए निधि को ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया।
- इसके अतिरिक्त स्थानीय पंचायतों द्वारा बच्चों के बीच कुपोषण की रोकथाम, गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाओं के लिए उचित आहार उपलब्ध कराना, ग्रामीण बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।
- ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को संस्थागत रूप देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। GPDP का उद्देश्य सरकार द्वारा तय योजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करना, प्रभावी संचार व्यवस्था प्रणाली को सुदृढ़ करना एवं राष्ट्र निर्माण के लिए पर्यावरण बनाना है।
- इस वर्ष (2020), कोरोना महामारी के बीच पंचायती राज दिवस का 27वाँ वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 'स्वामित्व योजना' और 'ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन' का लोकार्पण किया गया।

स्वामित्व योजना

- भारत की बहुत बड़ी आबादी गाँव में निवास करती है। अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय सम्पत्ति का विवरण नहीं है। अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक देश के ग्रामीण भूमि का बन्दोबस्त होता रहा है लेकिन अधिकांश राज्यों में ग्रामीण भूमि का सर्वे एवं मापन सम्पत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप अधिकांश घरों में सम्पत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं।
- स्वामित्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि की पैमाइंश ड्रोन तकनीकी के द्वारा की जाएगी।
- इस देशव्यापी पैमाइंश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे।
- स्वामित्व योजना में ग्रामीण भूमि का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। नक्शा के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा गाँव के प्रत्येक भूमि का सम्पत्ति कार्ड बनाया जाएगा।
- सटीक मैपिंग से ग्राम पंचायतों के पास भूमि का सटीक रिकार्ड होगा जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु, परमिट जारी करने में अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है।
- सम्पत्ति कार्ड धारक अपनी सम्पत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होगें और गाँवों के आवासीय क्षेत्र का रिकार्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेगें।
- इस सम्पत्ति कार्ड द्वारा पंचायतें आसानी से कर संग्रह कर सकेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधा देने संबंधी आय के लिए आत्मनिर्भर होंगे।

ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (e Gram Swaraj)

- डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे-डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेण्ट बैंक, सामान्य सेवा केन्द्रों का विस्तार आदि। 'ई ग्राम स्वराज' इसी श्रृंखला में पंचायती राज मंत्रालय की पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल (उपकरण) है। इससे पंचायतों के कार्यप्रणाली की निगरानी सरलता से की जा सकती है। ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन के अंतर्गत-
  - पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, गतिविधियों, योजना निर्माण बजट आवंटन, योजनाओं की निगरानी इत्यादि की जा सकती है।
  - इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सूचना एवं तकनीकी के माध्यम से पंचायती स्तर पर पारदर्शिता लाना है।

आगे की राह

- हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों को पंचायत को और अधिक शक्ति एवं धन उपलब्ध कराया जाय ताकि ग्रामीण स्तर पर जनता को अधिक सशक्त एवं जागरूक बनाया जा सके।

सामान्य अध्ययन
पेपर-2

Topic: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. हाल ही में पंचायती राज दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 'स्वामित्व योजना' तथा ई-ग्राम स्वराज एप जैसे कई कार्यक्रमों को शुरू किया है। ऐसी योजनाएं पंचायती राज को सशक्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? उदाहरण सहित चर्चा करें।

03 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों के समूह में दो स्थान नीचे गिरकर 142वें नंबर पर आया है। गौरतलब है कि पिछले साल भारत 140वें स्थान पर था।
- विदित हो कि पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सैन्स फ्रन्टियर्स (आरएसएफ) यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन-प्रॉफिट संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को प्रकाशित करने और उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- इस सूचकांक के अनुसार, दक्षिण एशिया ने अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन किया है।
- 'द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020' के अनुसार भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई और इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया।
- इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले नंबर पर है और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, 11वें पर जर्मनी, 34वें पर फ्रांस, 35वें पर यूके, 45वें पर अमेरिका, 66वें पर जापान और 107वें पर ब्राजील है।
- इस सूचकांक में पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है जबकि बांग्लादेश 151वें स्थान पर है। इसमें चीन 177वें स्थान पर है।

भारत की स्थिति निम्न क्यों ?

- रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में उत्पन्न हुई स्थिति की वजह से भारत की रैंकिंग पर काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने अपने एक बेहद अप्रत्याशित फैसले में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। इसके चलते राज्य में कई तरह के कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से पत्रकारों को खबरें दिखानें व छापने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लगातार प्रेस की आजादी का उल्लंघन हुआ, यहां पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और साथ ही आपराधिक समूहों-भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विद्रोह भड़काने का काम किया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भारत में अपने कार्य के दौरान कम से कम 6 भारतीय पत्रकार मारे गए। ये हत्याएं उन खतरों को दर्शाती हैं जिनका सामना ग्रामीण इलाकों में प्रायः अंग्रेजी भाषेत्तर पत्रकारों को करना पड़ता है।
- रिपोर्ट के अनुसार हिंदुत्व की अवधारणा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध सोशल मीडिया में समन्वित हेट कैंपेन चलाई जा रही हैं। यह सोशल मीडिया अभियान तब और कटु एवं विषाक्त रूप ले लेते हैं जब इनका निशाना महिलाएं होती हैं। महिला पत्रकारों पर होने वाले यौन हमलों एवं उनकी प्रताड़ना के अनेक मामले 2018 के 'मी टू अभियान' के माध्यम से उजागर हुए।
- रिपोर्ट यह भी कहती है कि अधिकारी कश्मीर जैसे जिन क्षेत्रों को संवेदनशील मानते हैं उन क्षेत्रों की कवरेज अब भी कठिन बनी हुई है। वहां विदेशी पत्रकारों का जाना प्रतिबंधित है और इंटरनेट भी प्रायः काम नहीं करता।

भारत में प्रेस की भूमिका

- प्रेस किसी भी समाज का आइना होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता बुनियादी जरूरत है। प्रेस के माध्यम से हम देश दुनिया में घटित होने वाली गतिविधियों से अवगत होकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं।
- मीडिया की आजादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है।
- दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चौथा स्तम्भ माना जाता है। प्रेस इनको जोड़ने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका

को मजबूती के साथ आम जनता की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है।

भारतीय प्रेस व मीडिया की चुनौतियाँ

- मीडिया को आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इनमें आंतरिक संघर्ष अधिक गंभीर है। मीडिया आज विभिन्न गुटों में बंट गया है जिसे सुविधा के लिए हम पक्ष और विपक्ष का नाम दे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा आज भी लोग प्रिंट मीडिया को अधिक विश्वसनीय मान रहे हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे सामाजिक सरोकारों को विकृत कर बाजारू बना दिया है। बाजार ने हमारी भाषा और रचनात्मक विजन को नष्ट-भ्रष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ऐसे में प्रेस की चुनौतियों को नए ढंग से परिभाषित करने की जरुरत है।
- फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्वीटर और यू-ट्यूब में जो कंटेंट पैदा हो रहा है वह कई तरह के अविश्वसनीय स्रोतों से भी आ रहा है। इसमें राजनीतिक दलों के आईटी सेल भी शामिल हैं, ट्रोलर भी हैं और बाजार की ताकतें भी शामिल है। इसीलिए फेक न्यूज का असर उसपर भी दिखलाई देने लगा है।
- मीडिया में बड़ी पूँजी वाले कॉर्पोरेट का बढ़ता वर्चस्व भी उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। कॉर्पोरेट अपने स्वार्थों के लिए मीडिया को हथियार बना रहे हैं और इस क्रम में उन्होंने सत्ता से गठजोड़ कर लिया है।

आगे की राह

- भारतीय संविधान और लोकतंत्र ने मीडिया को स्वतंत्रता दी है, इसलिए पत्रकारों को स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। मीडिया व प्रेस जितना स्वतंत्र होगा, सरकारी कामकाज उतने पारदर्शी होंगे। सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मसलन पिछले दो दशकों में दलित और महिला अधिकारों के प्रति मीडिया व प्रेस ने बड़ा कार्य किया है।
- देश में हुए चुनाव में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। सोशल मीडिया का दखल और इसका प्रयोग जिस तरह बढ़ रहा है, उसका लाभ भी पत्रकारिता को मिलेगा। प्रेस को अपनी स्वतंत्रता कायम रखते हुए समाज के जन जागरण में अपनी भूमिका तलाशनी होगी।
- पत्रकारिता में ई-कम्यूनिकेशन का दौर शुरू हो चुका है। अब वेबसाइट, ई-मेल, यूट्यूब, सोशल साइट, ट्विटर, ब्लॉग जैसे ई-कम्युनिकेशन पर चर्चा अधिक होती है। नई पीढ़ी इन चीजों को तेजी से अपना रही है।
- आर्थिक सुधार और उदारीकरण से आए सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया की तरह मीडिया भी इन बदलावों से प्रभावित हुआ है। बदलाव के परिणामस्वरूप निस्संदेह चुनौती आती है। दो दशकों से आए सामाजिक-आर्थिक बदलावों से उत्पन्न चुनौतियों तक पहुंच बनाने, उनसे निपटने और उबरने की मीडिया उद्योग से जुड़े लोगों की विशेष जिम्मेदारी है।
- आवश्यकता इस बात की है कि पत्रकार सोशल मीडिया पर वैसे खबरों को ही पोस्ट करें, जिससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता हो एवं पारदर्शिता व जागरूकता बढ़ती हो।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. भारत में प्रेस की महत्ता का वर्णन करते हुए बताएं कि इसके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

04 हिंद महासागर की महत्ता और भारत की भूमिका

चर्चा का कारण

- भारत, कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने हेतु दक्षिण पश्चिमी हिन्द महासागर समेत समूचे हिन्द महासागर के देशों की मदद हेतु तत्पर है।
- हाल ही में 'ऑपरेशन संजीवनी' के तहत भारत ने मालदीव को दवाइयाँ एवं अन्य मेडिकल उपकरण भेजे हैं।
- इसके साथ ही भारत, हिन्द महासागर आयोग (आईओसी) की सेशल्स में हुई मंत्रिपरिषदीय बैठक में पर्यवेक्षक सदस्य (Observer Member) के रूप में शामिल हुआ था।

हिन्द महासागर

- वर्तमान में जल संसाधन पर नियंत्रण करने हेतु सभी देश सक्रिय हैं, इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि एशिया में किसी राष्ट्र को बड़ी शक्ति बनने हेतु यह आवश्यक है कि उसका हिन्द महासागर पर प्रभुत्व हो। इसी कारण से विश्व की कई बड़ी शैन्य शक्तियों ने हिन्द महासागर में या तो सैन्य अड्डे बना लिये हैं या फिर इसकी ओर अग्रसर हैं।
- दुनिया के कुल तेल व्यापार का दो-तिहाई हिस्सा और सम्पूर्ण माल-वहन का एक तिहाई हिस्सा केवल हिन्द महासागर से गुजरता है। साथ ही, दुनिया के लगभग 40 देशों की सीमा हिन्द महासागर के साथ लगती है और दुनिया की तकरीबन एक-तिहाई आबादी इसके तटीय क्षेत्रों में बसती है।
- हिन्द महासागर में मिलने वाले समुद्री संसाधन और अन्य आर्थिक संसाधनों के दोहन की व्यापक सम्भावना है। हिन्द महासागर क्षेत्र में मछली पकड़ना भी लोगों की एक प्रमुख गतिविधि है।
- विश्व के पाँच महासागरों में हिन्द महासागर का तीसरा स्थान है। यह महासागर पूर्व में सुंडा द्वीप समूह, चीन व आस्ट्रेलिया से, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से, उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप से और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से घिरा है।
- हिन्द महासागर क्षेत्र में लोग समुद्री रास्ते से अफ्रीका, ओशिआनिया (Oceania), पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया तक आसानी से पहुँच बनाते हैं। यही कारण है कि हिन्द महासागर का भू-राजनीतिक महत्त्व भी है।

हिन्द महासागर क्षेत्र में चुनौतियाँ

- होर्मुज, मलक्का और बाब-अल मान्देब जलसंधि के समुद्र क्षेत्र से विश्व के कच्चे तेल एवं अन्य वस्तुओं का अधिकतर व्यापार होता है लेकिन ये क्षेत्र अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम हैं। इन क्षेत्रों में समुद्री लुटेरे जहाजों को अगवा कर लूट-पाट करते हैं और जहाज में उपस्थित सदस्यों को बन्धक बनाकर सम्बन्धित देश से फिरौती माँगी जाती है।
- चीन, हिन्द महासागर के छोट-छोटे राष्ट्रों को अपने ऋण जाल में फँसा रहा है; उदाहरण के लिए चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास हेतु ऋण दिया किन्तु श्रीलंका द्वारा इस ऋण को न चुकाये जाने पर हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 वर्षो के लिए पट्टे (लीज) पर अधिग्रहित कर लिया है।
- एशिया में चीन के अलावा भारत भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है, अत: भारत को घेरने हेतु चीन ने हिंद महासागर में 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' की नीति को अपनाया हुआ है। इस नीति के तहत हिन्द महासागर में चीन श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव आदि देशों में अपना प्रभाव बंदरगाह आदि विकसित करके स्थापित कर रहा है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एण्ड रोड एनिशिएटिव' के माध्यम से हिन्द महासागर में अपनी आक्रामक उपस्थिति दर्ज करा रहा है।
- आज दुनिया के आधे से अधिक सशक्त संघर्ष हिन्द महासागर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती है।
- हाल ही में आईपीसीसी की तीसरी रिपोर्ट (महासागरों एवं क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव) में कहा गया था कि अन्य महासागरों के अतिरिक्त हिन्द महासागर क्षेत्र पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। जिसके कारण इस क्षेत्र में समुद्री जल स्तर में वृद्धि, प्रवाल भित्ति एवं समुद्री पारितंत्र का क्षरण, उष्णकटिबन्धीय चक्रवातों की बारम्बारता में वृद्धि आदि घटनाएँ देखने को मिल रही हैं।

हिन्द महासागर आयोग (आईओसी)

- हिन्द महासागर में तटीय देशों के अलावा कई छोटे-छोटे द्वीपीय देश हैं। दक्षिणी पश्चिमी हिन्द महासागर में कुछ द्वीपीय

राष्ट्रों के संगठन 'हिन्द महासागर आयोग' (Indian Ocean Commission-IOC) ने अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी है।

- दरअसल आईओसी, दक्षिणी-पश्चिमी हिन्द महासागर के पाँच द्वीपीय राष्ट्रों (यथा-कोमोरोस, मॉरीशस, मेडागास्कर, सेशल्स और रियूनियन-फ्राँस) का अंतर-सरकारी निकाय है।
- आईओसी, दक्षिण-पश्चिमी हिन्द महासागर में एक मैरिटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर (Maritime Security Architecture) उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस क्षेत्र में एक उपयुक्त सागरीय अभिशासन (Maritime Governance) पर भी जोर दे रहा है।
- हिन्द महासागर आयोग के मैरिटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में दो केन्द्र प्रमुख भूमिका रखते हैं-
  - क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केन्द्र (Regional Maritime Information Fusion Centre-RMIC)।
  - क्षेत्रीय समन्वय संचालन केन्द्र (Regional Coordination Operation Centre-RCOC)।
  - आरएमआईसी, हिन्द महासागर में होने वाली किसी भी समुद्री गतिविधि को सदस्य देशों के साथ साझा करता है। जबकि आरसीओसी, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर सभी सदस्य देशों को एकसाथ मिलकर कार्यवाई करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - आईओसी, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और जरूरत पड़ने पर बड़े-बड़े वैश्विक देशों से मदद भी प्राप्त करता है। हाल ही में भारत को भी आईओसी में पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा हासिल हुआ है। भारत के अतिरिक्त इसके अन्य पर्यवेक्षक हैं-यूरोपीय संघ, माल्टा, इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रांसोफोनी (ओआईएफ) और चीन।

भारत एवं हिन्द महासागर

- भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए हिन्द महासागर काफी महत्त्वपूर्ण है। भारत की लम्बी तट रेखा हिन्द महासागर से मिलती है और दो द्वीपीय संघ शासित प्रदेश (अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप) यहीं स्थित हैं।
- शुरूआत में भारत ने हिन्द महासागर में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया था, इसी कारण भारत को रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं हो पायी। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए कई उल्लेखनीय प्रयास किये हैं।
- भारत सरकार के द्वारा 2015 में ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए सागर (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) नीति के साथ-साथ सागरमाला योजना की भी शुरूआत की गयी। सागर नीति के तहत भारत, हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है।
- पहले भारत हिन्द महासागर में समुद्री सुरक्षा हेतु द्विपक्षीय सम्बन्धों पर बल देता था किन्तु अब वह इस क्षेत्र में उपस्थित संगठनों पर भी बल दे रहा है; यथा-हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय संगठन है।
- भारत का राष्ट्रीय सूचना संलयन केन्द्र (NIFC), हिन्द महासागर आयोग के मैरिटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से लगातार सूचनाएँ आदान-प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारत इस क्षेत्र के देशों को उपग्रह चित्र भी उपलब्ध कराता है।

आगे की राह

- हिन्द महासागर में चीन की अनावश्यक दखलंदाजी को कम करने पर सभी को ध्यान देना होगा। भारत सहित सभी देशों को प्रयास करना चाहिए कि हिन्द महासागर क्षेत्र को एक संघर्षमुक्त क्षेत्र बनाया जाये और इसके संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु हिन्द महासागर क्षेत्र के छोटे-छोटे देशों को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic: भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. हिन्द महासागर, भारत के लिए किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? इस क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करने के साथ-साथ बतायें कि भारत व अन्य संगठन इनसे किस प्रकार निपट रहे हैं?

05 भारत में इस्लामोफोबिया : वास्तविकता या दुष्प्रचार

चर्चा का कारण

- हाल ही में 57-सदस्यीय इस्लॉमिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation- OIC) ने कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से ओआईसी (OIC) ने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वे कदम उठाए। हालांकि OIC के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने भारत में इस्लामोफोबिया (मुस्लिमों के प्रति भेदभाव) के आरोपों को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
- इससे पहले 'संयुक्त राज्य अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग' (US-Commission on International Religious Freedom - USCIRF) ने भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया की इन देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते खतरे की आलोचना की थी। भारत सरकार ने USCIRF द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और USCIRF पर भारत में COVID-19 के प्रसार से निपटने की दिशा में अपनाए गए पेशेवर चिकित्सा प्रोटोकॉल पर भ्रामक रिपोर्ट फैलाने का आरोप लगाया है।

परिचय

- दरअसल, मार्च महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में शामिल हुए कई लोग जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इसकी आलोचना करते हुए इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी बयान जारी किया था और कहा था कि भारत में ये चीजें रुकनी चाहिए। यह बयान उसी दिन आया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में एकता और भाईचारा हमारा जवाब होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि COVID-19 हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, रंग, जाति, भाषा या सीमाएं नहीं देखता है।
- भारत सरकार का कहना है कि अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर कोशिशें की जा रही हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव भारतवासियों के लिए राजनीतिक फैशन नहीं वरन जुनून है। यह भारत देश की ताकत है। इसी ताकत ने सबके धार्मिक व सामाजिक अधिकारों को बरकरार रखा है।

इस्लामोफोबिया क्या है

- इस्लामोफोबिया अर्थात मुस्लिमों और इस्लाम के प्रति गैरमुस्लिमों (जो लोग मुस्लिम नहीं हैं) के दिलोदिमाग में गलत जानकारी के साथ एक बेवजह पैदा किए गए डर को कहा जाता है। एक ऐसा डर जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति इस्लाम और मुस्लिमों से नफरत करने लगता है, इंटरनेट के इस दौर में इस्लामोफोबिक कंटेन्ट की सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक में बाढ़ आई हुई है। फिलहाल कोरोना के नाम पर फर्जी वीडियो और टेक्स्ट ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। ये जो डर लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, इसके कारण ही कई जगह यही नफरत हत्या जैसे अपराधों का कारण बनती है।

ओआईसी क्या है

- इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह सयुंक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 हैं इसमें 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है।
- इसका उद्देश्य दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण का प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है।

ओआईसी और भारत

- पिछले कुछ वर्षों में, भारत के यूएई के साथ और वास्तव में पूरे खाड़ी और पश्चिम एशियाई क्षेत्र के साथ संबंधों में वृद्धि हुई है।
- इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्यों में से एक चौथाई से अधिक सदस्य संयुक्त राष्ट्र में हैं, यह एक ऐसा संगठन है, जिसकी दुनिया को एक नये आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है।
- जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है ओआईसी व भारत के बीच आर्थिक जुड़ाव मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मानवीय और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा बनाने की कोशिश भारत सरकार द्वारा की जा रही है।
- पूर्वी राष्ट्र, ब्रूनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत से इनके व्यापक जुड़ाव हैं। भारत के पड़ोस में स्थित अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ संबंध बेहतर हैं।
- ईरान के साथ भारत न केवल सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध को साझा करता है, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण करार किए हुए हैं।
- वर्तमान में, खाड़ी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा बाजार, ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता और प्रेषण का स्रोत है। इस क्षेत्र में रहने वाले 8 मिलियन से अधिक भारतीय, इस साझेदारी के जीवंत डोर हैं।
- गौरतलब है कि ओआईसी की विदेश मंत्रियों की बैठक (45वीं) में बांग्लादेश ने यह सुझाव दिया था कि भारत में भी 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इसलिए भारत को भी इस संगठन में पर्यवेक्षक (Observer) के तौर पर शामिल कर लेना चाहिये, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया।

ओआईसी में भारत भागीदारी का इच्छुक नहीं

- चार महाद्वीपों के 57 देशों की सदस्यता वाले ओआईसी को वैश्विक कूटनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरे सबसे बड़े संगठन का दर्जा हासिल है। इस संगठन की कही हुई बात को पूरे मुस्लिम समुदाय की संयुक्त राय का दर्जा दिया जाता है। अभी तक कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी की तरफ से पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया जाता रहा है और कश्मीरियों की तथाकथित आजादी की मांग के समर्थन में यह संगठन 2017 में संकल्प प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। ऐसे में भारत विरोधी नजरिये के कारण भारत इस संगठन में भागीदारी का इच्छुक नहीं रहा है।
- पाकिस्तान और सऊदी अरब के चलते ही ओआईसी की पहली बैठक में भारत बाहर रहा था। पहली बैठक 1969 में मोरक्को की राजधानी रवात में हुई थी, तब इसे इस्लामिक कांफ्रेंस आर्गेनाइजेशन कहा जाता था। इसके बाद से ही, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश होने के बावजूद भारत को ओआईसी की सदस्यता नहीं मिली। पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल हमेशा भारत के तीखे विरोध के लिए करता रहा है। हालांकि अबूधाबी में एक मार्च, 2019 को आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र के उद्घाटन में भारत पहली बार आमंत्रित मेहमान के तौर पर शिरकत किया था।

भारत को क्या करना चाहिए

- पाकिस्तान को छोड़कर भारत ओआईसी के सभी सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर भी करता आया और धीरे धीरे कारोबारी संबंधों को राजनीतिक संबंधों से वजनी बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है।
- ओआईसी सदस्य देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, मोरक्को, ट्यूनिशिया और मिस्र जैसे देशों से भारत के द्विपक्षीय कारोबार और निवेश वाले संबंध काफी बेहतर हैं। अरब खाड़ी में करीब 60 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, जिनमें आधे सऊदी अरब में रहते हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि वे इन देशों के साथ सम्बन्धों को और मधुर बनाए।
- खाड़ी देशों के लिए भारत निवेश का बेहतरीन ठिकाना माना जाता है, जबकि ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक भारत को तेल आपूर्ति करने वाले अहम देश हैं। हालांकि इस्लामिक संगठन के देशों के बीच ही आपस में भारी विरोध है। इसलिए भारत को इस्लामिक राष्ट्रों की कूटनीति को समझकर कदम उठाना होगा।

आगे की राह

- खाड़ी देशों व इस्लामिक देशों की तरफ से जताई गई मजबूत इच्छाशक्ति है कि वे भारत के साथ सामान्य व्यापारिक व कूटनीति रिश्तों से आगे जाना चाहते हैं।
- खास तौर पर यू.ए.ई ने भारत के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यह भारत में रहने वाले 18.5 करोड़ मुसलमानों के साथ ही भारत की विविधता व इस्लामिक विश्व को भारत के योगदान के प्रति आदर दिखाने वाला भी है।
- भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अत: COVID-19 जैसी महामारी में सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर समस्या का सामना करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन
पेपर–2

Topic: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. हाल ही में ओआईसी ने भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया है। क्या यह आरोप सहीं है या यह किसी दुष्प्रचार का परिणाम है? चर्चा करें।

06 भारत की एफडीआई नीति में बदलाव: अवसरवादिता पर अंकुश

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण के किसी भी प्रयास पर रोक लगाने के लिए अपनी FDI नीति में संशोधन कर दिया है। जिसका सीधा असर देश की सीमा से लगे पड़ोसी देशों पर पड़ेगा, मुख्य रूप से चीन पर। इस संदर्भ मे चीन ने कहा है कि विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए भारत द्वारा निर्धारित नये एफडीआई मानदंड विश्व व्यापार संगठन के गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, और व्यापार के उदारीकरण और निवेश की सुविधा के विरुद्ध जाते हैं।

पृष्ठभूमि

- 17 अप्रैल को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अवसरवादी अधिग्रहण और भारतीय फर्मों के अधिग्रहण को रोकने के लिए FDI नीति को संशोधित किया और कहा कि "एक गैर-आवासीय इकाई या उस देश के एक नागरिक, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, केवल सरकार से पूर्व अनुमति से ही निवेश कर सकता है"।
- पाकिस्तान, बांग्लादेश के निवेशकों पर पहले से ही इस तरह की शर्त लागू है, जबकि श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे देश भारत के लिये प्रमुख निवेशक नहीं हैं। इससे मुख्य रूप से चीन को हानि पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय व्यापार क्षेत्र में 2014 से चीन के पदचिह्न का तेजी से विस्तार हो रहा है। नवीनतम उपायों से भारत में चीनी विस्तार को रोका जा सकेगा।
- ध्यातव्य है कि भारत ने एफडीआई निवेश के लिए अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के लिए खोल दिया है, लेकिन रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्र निषिद्ध हैं।
- संशोधित नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के एफडीआई निवेश यानी ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है।
- ध्यातव्य है कि ग्रीनफील्ड निवेश द्वारा नए संयंत्रों में या नई उत्पादन क्षमता में निवेश किया जाता हैं, जबकि ब्राउन फील्ड निवेश मौजूदा संयंत्रों में निवेश से संबंधित है।

चीन का तर्क

- चीन ने भारत के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा नवीनतम एफडीआई के उपाय व्यापार और निवेश के एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, पूर्वानुमानित और स्थिर वातावरण का एहसास करवाने और हमारे बाजारों को खुला रखने के लिए जी 20 के आम समझौते के विरुद्ध है।
- कंपनियाँ बाजार के सिद्धांतों के आधार पर ही अपना विकल्प तैयार करती हैं और इसलिए भारत को भेदभावपूर्ण नीतियों को संशोधित कर, विभिन्न देशों से समान रूप से निवेश की अनुमति देनी चाहिए, तथा एक खुले, निष्पक्ष और समान व्यापार वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए।
- संशोधित नीति चीनी निवेशकों द्वारा हर प्रकार के निवेश को सरकार की मंजूरी के अधीन बनाती है। यह न तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेशों के बीच अंतर करती है और न ही सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बीच।
- चीनी निवेशकों के लिए, भारत मोबाइल प्रौद्योगिकियों और उत्पादों, ऑटोमोबाइल, वित्तीय प्रौद्योगिकियों और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे निवेशों के साथ एक आकर्षक गंतव्य रहा है। ये कंपनियाँ भारत में रोजगार दे रही हैं, और ऐसे अवसरों का सृजन कर रही हैं जो दोनों देशों के पक्ष में है।

भारत का तर्क

- भारत का एफडीआई नियम डब्ल्यूटीओ के नियमों के उल्लंघन नहीं हैं, यह ऐसे बदलाव करने की अनुमति देते हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे दांव पर होते हैं।
- एफडीआई नीति में ऐसे संशोधन करने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और जर्मनी ने संवेदनशील सेक्टर में होने वाले निवेशों को लेकर इसी तरह की अनिवार्यता लागू की है, इन देशों को भी चीन की कंपनियों का डर है जो शेयर बाजार में गिरावट के दौर में उनकी कंपनियों के अधिग्रहण की मंशा रखती हैं।
- 12 अप्रैल को, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में निवेश किया और अपनी हिस्सेदारी एक प्रतिशत तक बढ़ा दी। यह कदम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और देशों की चिंताओं का कारण बना। भारत में चीनी निवेश का कई भारतीय कंपनियों और स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) जैसे समूहों द्वारा विरोध भी किया गया।
- हालाँकि, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारतीय एमएसएमई भी चीनी कंपनियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य रहा है। लेकिन, एमएसएमई भी संघ सरकार से घरेलू फर्मों में निवेश रोकने की अपील कर रहे हैं।

भारतीय कंपनियों पर असर

- निवेशक की अनुपस्थिति में संघर्षरत कंपनियाँ दिवालियापन का कारण बन सकती हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती हैं।
  - हाल ही के एक अध्ययन में कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शीर्ष 500 कंपनियों में से आधे से अधिक कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन के बाद भी नियमित भुगतान करने के लिए खुद को फँसा हुआ पा सकती हैं।
  - अधिकांश फर्म लॉकडाउन के पश्चात खुद को तरलता (लिक्विडिटी) की समस्या से घिरा हुआ पा सकते हैं, जब तक कि कोई बैंक उन्हें उधार नहीं दे देते हैं।

- इस बात की एक महत्वपूर्ण संभावना है कि कुछ कंपनियों को वेतन कटौती, भुगतान में देरी या नौकरी में कटौती जैसे उपायों के माध्यम से व्यापार को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में गैर-भेदभाव का सिद्धांत (GATT परिप्रेक्ष्य)

- डब्ल्यूटीओ कानून में गैर-भेदभाव एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।
- गैर-भेदभाव का सिद्धांत दो स्तंभों पर टिका है: सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) उपचार दायित्व और राष्ट्रीय उपचार दायित्व।
- गैर-भेदभाव का सिद्धांत डब्ल्यूटीओ के भीतर अधिकारों और दायित्वों के संतुलन के लिए इतना मौलिक है कि यह कुछ अपवादों के अधीन होने पर भी कानूनी प्रभावों को प्रेरित करता रहता है।

भारत में एफ.डी.आई.

- एफडीआई इंडिया एक एजेंट के रूप में कार्य करता है जो विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसरों से जोड़ता है।
- यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है जो निवेशकों को उनके निवेश के लिए आसान संपर्क प्रदान करता है।
- भारत में FDI को दो मार्गों- स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है।
- **स्वचालित मार्गः** इस मार्ग से, बिना किसी सरकारी स्वीकृति के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- **सरकारी मार्गः** इस मार्ग पर, निवेश करने से पहले सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। निवेश के प्रस्तावों पर प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा विचार किया जाता है।

समस्याएं

- यह नीति विभिन्न निवेशों जैस इंडस्ट्री प्लेयर्स, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी कोष (वेंचरकैपिटल फण्ड) के बीच अंतर नहीं करती है तो, इसलिए इस तरह के प्रयोग से अनपेक्षित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- वेंचर कैपिटल फण्ड की राष्ट्रीयता को चिह्नित करना भी बेहद मुश्किल होगा, वेंचर कैपिटल फंड पर प्रतिबंध भारतीय बाजार में कई स्टार्ट-अप की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है ।
- भारत में, जोमेटो, स्वीगी, मेक-माईट्रिप, बिगबास्केट, ओयो, ओला और स्नेपडील जैसी कंपनियां या तो वेंचर कैपिटल फंड ऑफ-शोर में पंजीकृत हैं या यूएस या हांगकांग में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
- चीनी निवेशकों द्वारा निजी कंपनियों में अधिग्रहण के लिए सरकार की मंजूरी को आवश्यक बनाने से संभावित निवेशकों में कमी आएगी।
- भारत में सबसे अधिक दिखाई देने वाला चीनी निवेश, ज्यादातर इंटरनेट के क्षेत्र में है, जिन्हें नए नियमों की परिभाषा के अंतर्गत लाना कठिन होगा।
- 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करने से एफडीआई के अनुकूल गंतव्य के रूप में भारत की छवि को बढ़ावा मिला था। संशोधित नीति से विदेशी निवेशकों के मन में अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और भविष्य के निवेश को विघटित भी कर सकते है।

आगे की राह

- हालांकि सरकार इस कदम को वैश्विक पैटर्न का अनुसरण करते हुए आत्मरक्षा के लिए उठाये गये कदम के रूप में मान सकती है। एक वैश्विक महामारी के समय में, सरकार की मंशा पर शायद ही कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। इस महामारी के बाद भारत सरकार एफडीआई नीति में नए संशोधनों के संबंध में अधिक सटीक और केंद्रित हस्तक्षेप पर विचार कर सकती थी।
- कोविड-19 महामारी के समय में, चीनी निवेश को राष्ट्रीय संपत्तियों पर कब्जा करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारत नई एफडीआई नीति के द्वारा, चीनी निवेश और लाभ की निगरानी कर सकता है, लेकिन, इसमें चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा पड़ने की सम्भावना है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी निवेश ढांचे संबंधी समिति (CFIUS) जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित राष्ट्रीय सुरक्षा (अपवाद स्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वास्तविक खतरे या कोविड-19 जैसी महामारी की घटनाओं को छोड़कर) के साथ अनुमति देता है। यह भारत के लिए अपने नीति निर्माण में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है।

सामान्य अध्ययन
पेपर-3

Topic: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने एफडीआई (FDI) नीति में परिवर्तन किया गया है। चीन व पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का कहना है कि यह परिवर्तन पक्षपातपूर्ण है तथा इससे भारत के विदेशी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे आप कितना सहमत हैं? उल्लेख करें।

07 भारत में धान–मत्स्य कृषिः संवर्द्धन की आवश्यकता

संदर्भ

- तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या ने कई चुनौतियों विशेष रूप से भोजन की कमी, कुपोषण, सिंचाई के सीमित साधन और बिगड़ते पर्यावरणीय संसाधनों के अलावा भूमि संसाधन में कमी, आदि का सामना किया है। खाद्य और पर्यावरण पर लगातार बढ़ते दबाव को दूर करने के लिए आज कृषि उत्पादन प्रणालियों में सतत गहनता की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में पारंपरिक चावल की किस्मों को पुनर्जीवित करने के साथ ही धान-मत्स्य कृषि प्रणाली फिर से चर्चा में है।

पृष्ठभूमि

- एशिया दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें भारत, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल हैं।
- चावल, एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, जो दुनिया की लगभग 50 प्रतिशत आबादी का भोजन है।
- इसकी पहचान एक ऐसे प्रमुख फसल के रूप में की जाती है, जो उपलब्ध जल संसाधनों की विशाल मात्रा का उपभोग करती है, साथ ही साथ इसके खेतों से बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस (मीथेन) का उत्सर्जन होता है।
- भारत में, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक-चौथाई का योगदान करती है तथा दो-तिहाई आबादी का जीवन-निर्वाह करती है।
- भारतीय कृषि में चावल की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2017-18 में चावल की 111. 52 मिलियन टन की उपज दर्ज की गयी। भारत में कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक है। आवश्यकता इस बात की है कि कम भूमि पर अधिक अन्न उत्पादन किया जाय। इसलिए चावल उत्पादन प्रणालियों में प्रबंधन के लिए सुधार की आवश्यकता है।

चावल और जलीय जीवों की सह-संस्कृति

- वर्तमान में चावल की खेती से ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। ध्यातव्य है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन से करीबी संबंध है।
- मीथेन (CH_4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जिनका उत्सर्जन कृषि क्षेत्र से होता है। मीथेन का उत्सर्जन कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पौधे के अवशेषों, कार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक उर्वरकों के जलमग्न होने पर (जहां ऑक्सीजन की कमी होती है) उनके अवायवीय क्षरण पर निर्भर करता है।
- वायुमंडल में कुल 10-20 प्रतिशत मीथेन धान के खेतों से आता है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक है।
- GWP यह निर्धारित करता है कि कौन सी गैस उष्मा को कितनी अधिक देर तक धारण कर सकती है।
- धान व जलीय जीवों की सह-संयोजन केवल एक कृषि-उत्पादन का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक कृषि-संस्कृति पैटर्न है, जिसमें धान की फसल के साथ जलीय पशु उत्पादन (उदाहरण के लिए मछली, शंख, केकड़ा, झींगा और बतख) सह-संस्कृति से भूमि और जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की तकनीक को प्रस्तावित किया जाता है।
- धान-मत्स्य कृषि प्रणाली दुनिया भर में विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उप-उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक अद्वितीय कृषि-परिदृश्य का गठन करती है।
- शोध से पता चला है कि धान-मत्स्य कृषि प्रणाली मीथेन और अन्य जीएचजी गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है।
- जलीय जीव विशेष रूप से निचले फीडर (जैसे-केकड़े और कार्प) अपने गतिविधियों से या कभी-कभी भोजन की खोज करते समय मिट्टी की परतों को अस्तव्यस्त करते हैं और इस तरह वे CH_4 (मीथेन) उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
- संभावित रूप से, जलीय जीव पानी और मिट्टी के क्षेत्र में घुलित ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, जो अनाक्सी अपघटन को ऑक्सी अपघटन में बदल देता है और मीथेन के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।
- हाल ही में, यह अनुमान लगाया गया है कि मीथेन का उत्सर्जन धान-मत्स्य कृषि प्रणाली में राईस मोनोकल्चर कल्टीवेशन सिस्टम से 34.6 प्रतिशत कम है।
- धान-मत्स्य कृषि प्रणाली मिट्टी की उर्वरता का नवीनीकरण करने और मिट्टी को क्षरण

से बचाने के लिए भी फायदेमंद है, जो एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा है।

- धान-मत्स्य कृषि प्रणाली को केवल कम मात्रा में कीटनाशक और उर्वरक की आवश्यकता होती है।
- इस प्रणाली का आर्थिक पहलू यह इंगित करता है कि इसे अपनाने से किसानों की आर्थिक दक्षता में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में, धान-मत्स्य कृषि प्रणाली द्वारा प्राप्त शुद्ध आय राईस मोनोकल्चर कल्टीवेशन की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक थी।
- धान-मत्स्य प्रणाली से चावल की पैदावार 10-26 प्रतिशत अधिक हुई, श्रम इनपुट 19-22 प्रतिशत कम और उत्पादक सामग्री की आवश्यकता भी 7 प्रतिशत कम पड़ी।
- इसके अतिरिक्त, मछली उत्पादन द्वारा भी शुद्ध आय में वृद्धि हुई। इंडोनेशियाई आंकड़ों से पता चलता है कि धान की एक ही फसल की तुलना में धान-मत्स्य कृषि प्रणाली में 27 प्रतिशत अधिक शुद्ध लाभ मिलता है।
- यह विधि कृषि उद्योग को मत्स्य उद्योग से जोड़ती है, जो मोनोकल्चर कृषि के मामले में संभव नहीं है।

भारत की स्थिति

- भारत में चावल की खेती के लिए उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्रफल 43.5 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से अनुमानित 20 मिलियन हेक्टेयर धान-मत्स्य कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए उपयुक्त है। तथापि,वर्तमान में भारत में केवल 0.23 मिलियन हेक्टेयर धान-मत्स्य कृषि प्रणाली के अंतर्गत उपयोग किये जाते है।
- विभिन्न अध्ययनों से पता चला है चावल की उपज मोनोकल्चर की तुलना में को-कल्चर सिस्टम द्वारा अधिक होती है। इस प्रकार, इस कम क्षमता वाले उच्च संभावित क्षेत्र से उच्च उत्पादकता प्राप्त करना एक तत्काल आवश्यकता है।
- धान-मत्स्य कृषि की विधि संभवत: उत्तर पूर्व में चावल की खेती की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ जल से भरे चावल के खेत मछली के लिए एक प्राकृतिक आवास बनाते हैं।
- भारत में धान-मत्स्य कृषि का क्षेत्र एक उत्कृष्ट भविष्य है। असम में हुए अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रणाली ने व्यवहार्य, पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत, कम जोखिम वाली अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि के कई लाभों के साथ-साथ ग्रामीण किसान समुदायों के लिए बढ़ी हुई आय और अधिक मात्र में मछली की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।
- भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र को रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य रसायनों के नगण्य उपयोग के कारण जैविक खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

आगे की राह

- यह सह-संस्कृति कार्यक्रम किसानों को नए विचारों को खोजने और कृषि और जलीय कृषि उद्योगों को विकसित करने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इन लाभों के साथ, किसान सह-संस्कृति की तकनीक को अपनाने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है और साथ ही यह महत्वपूर्ण कौशल और तकनीकी का ज्ञान प्रदान करने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच संपर्क बढ़ाने को प्रोत्साहित करता है।
- इस प्रणाली से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ कृषि आय पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और गरीब ग्रामीण लोगों और किसानों की आजीविका में प्रगतिशील सुधार होता है।
- भारत में धान-मत्स्य कृषि प्रणाली को संरक्षण और संवर्धन की तत्काल आवश्यकता है। जैसा कि उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि कृषि समुदाय के लिए एग्री-एक्वा को-कल्चर सिस्टम बहुत उपयोगी होगा और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होगा।
- इसलिए भारत में अगली बुवाई के मौसम में, यह अवलोकन करने का उचित समय है जिसके अंतर्गत भारतीय केंद्र और राज्य सरकारें इस प्रणाली के महत्व को पहचान सकेंगी।
- नीति निर्धारकों को गरीब ग्रामीण समुदायों के लिए प्रारंभिक निवेश की समस्याओं पर विचार करना चाहिए और उन्हें किसान-हितैषी नीतियों, आसान ऋण योजनाओं आदि की भरपाई करनी चाहिए। धान-मत्स्य कृषि प्रणाली निश्चित रूप से कृषि उत्पादन को बढ़ाएगा, पर्यावरणीय ह्रास को कम करेगा और किसानों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic: मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

प्र. धान-मत्स्य कृषि प्रणाली क्या है? यह प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 रेमिटेंस (प्रेषण) पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व बैंक ने COVID-19 का रेमिटेंस (प्रेषण-प्रवासियों द्वारा भेजा हुआ धन) पर प्रभाव से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन में भारी गिरावट देखी जा सकती है।

2. रेमिटेंस (प्रेषण) का महत्व

- अध्ययन बताते हैं कि रेमिटेंस गरीब और मध्यम आय वाले देशों में गरीबी को कम करते हैं, पोषण के परिणामों में सुधार करते हैं, शिक्षा पर अधिक खर्च से जुड़े होते हैं और वंचित परिवारों में बाल श्रम को कम करते हैं।
- रेमिटेंस विकासशील देशों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रेमिटेंस में गिरावट उपर्युक्त क्षेत्रों पर खर्च करने की परिवारों की क्षमता को प्रभावित करती है।

3.भारत की स्थिति

- भारत रेमिटेंस का दुनिया में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, परन्तु कोरोनो वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले रेमिटेंस में पिछले साल के 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 23% की गिरावट के साथ 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की सम्भावना है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत को रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होने वाले धन में 5.5% की वृद्धि के साथ कुल 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे, जो कुल अनुमानित आय का लगभग 12% था।
- वर्ष 2018 में भारत विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश था, आँकड़ों के हिसाब से इस दौरान लगभग 170 लाख प्रवासी भारतीयों ने विश्व के कई देशों में कार्य करते हुए रेमिटेंस के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया था।
- भारत में रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य देशों (मुख्यत: अरब देशों) में गए कामगारों द्वारा भेजा जाता है, ऐसे में लंबे समय तक रेमिटेंस में कमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

4. पड़ोसी देशों की स्थिति

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में पाकिस्तान का रेमिटेंस 23% की गिरावट के साथ 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, जबकि पिछले वर्ष पाकिस्तान को 6.2% की वृद्धि के साथ रेमिटेंस के रूप में 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में बंग्लादेश के रेमिटेंस में 22%, नेपाल के रेमिटेंस में 14% और श्रीलंका के रेमिटेंस में 19% तक की गिरावट हो सकती है।

5. वैश्विक परिदृश्य

- इस साल वैश्विक स्तर पर महामारी और लॉकडाउन से प्रेरित आर्थिक संकट के कारण रेमिटेंस में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है ।
- अनुमानित गिरावट मोटे तौर पर प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में गिरावट के कारण होती है, जो एक मेजबान देश में आर्थिक संकट के दौरान होते हैं।
- विश्व के अन्य प्रमुख हिस्सों में जैसे- यूरोप और मध्य एशिया (27.5%), उप-सहारा अफ्रीका (23.1%), दक्षिण-एशिया (22.1%), मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (19.6%), लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन (19.3%), पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र (13%) में रेमिटेंस में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।
- भारत के साथ ही दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों के लिये मध्य-पूर्व के देश रोजगार और रेमिटेंस का एक बड़ा स्रोत हैं, परन्तु कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों के अर्थव्यवस्था पर नकरात्मक असर पड़ेगा।

02 स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियो के खिलाफ हो रहे हिंसा से रक्षा हेतु महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन किया है।

2. पृष्ठभूमि

- पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर उपद्रवियों द्वारा उन्हें वायरस के वाहक के रूप में मानकर, हमला किया जा रहा था।
- साथ ही साथ उनपर कलंक और अपशगुन जैसे आरोप लगाकर अनुचित हिंसा और उत्पीड़न करने के मामले सामने आ रहे थे।
- ऐसी वीभत्स स्थिति चिकित्सा समुदाय को सर्वोत्तम प्रदर्शन करने और उनके मनोबल को बनाए रखने से रोकती है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के समय में उनके मनोबल को बनाये रखना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

3.अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान

- अध्यादेश का प्रमुख उद्देश्य है कि मौजूदा महामारी के दौरान, किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और संपत्ति के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
- यह अध्यादेश हिंसा को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रावधान करता है।
- इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की चोट या उनकी संपत्ति को नुकसान या क्षति के क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
- स्वास्थ्य सेवा कर्मियों में सार्वजनिक और नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे, इस बीमारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिए इस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो शामिल किया गया है।
- इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट लगने की स्थिति में, अभियुक्त को 6 महीने से 7 साल के बीच सजा सुनाई जा सकती है और उस पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान हुआ है, तो क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा अभियुक्तों से लिया जाएगा।
- इसके अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी।

4. महामारी रोग अधिनियम,1897 के प्रावधान

- यह अधिनियम राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को महामारी के प्रकोप से निपटने और विशेष उपाय करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- यह राज्य को अस्थायी नियमों द्वारा जनता या किसी भी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने का भी अधिकार देता है, जो की इस तरह की बीमारी या इसके प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक है।
- यह अधिनियम किसी भी विनियमन के तहत दिए गये आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंड का भी प्रावधान करता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार होगा।
- इस अधिनियम के तहत कार्यान्वयन अधिकारियों को कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है।

5. राष्ट्रीय स्तर के कानून की आवश्यकता

- मौजूदा राज्य कानून, आमतौर पर केवल शारीरिक हिंसा पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन घर और कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर नहीं करते हैं।
- इन दंडात्मक कानूनों में निहित प्रावधान दुर्भावनापूर्ण दुर्व्यवहार के निवारण के लिए पर्याप्त नहीं है।

03 केरल का कासरगोड मॉडल

1. चर्चा का कारण

- भारत में जब कोरोना-19 का प्रसार तेज गति से हो रहा है वहीं देश का एक राज्य केरल अपने सहीं रणनीति और सूझबूझ के कारण कोरोना वायरस से निपटने में पूर्णतः सफलता की ओर बढ़ रहा है।
- विदित हो कि केरल ने कासरगोड मॉडल के तहत इस पर विजय पाई है। इस मॉडल की वाहवाही अब पूरे विश्व में हो रही है।

2. कासरगोड मॉडल

- कोरोना से जंग में देश भर में केरल मॉडल की चर्चा हो रही है। एक समय केरल के कासरगोड में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आये थे। 6 अप्रैल को संक्रमित लोगों की संख्या 164 थी और इसके बाद उसमें लगातार कमी देखी गई।
- कासरगोड मॉडल तीन स्तरों पर बनाया गया है और राज्य सरकार ने इन्हीं के तहत कार्य किया है।

3.प्रथम चरण

- इसके तहत पारंपरिक रूप से पुलिस ने मुस्तैदी से अपना काम किया। सड़कों पर आवाजाही पर रोक लगाई गई, मोबाइल पेट्रोलिंग किया गया तथा घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

4.दूसरा चरण

- इसमें जीआईएस (Geographic Information System) तकनीक का उपयोग कर संक्रमित लोगों, क्वारंटीन हुए लोगों, विदेश से आये लोगों और उनसे पहले व दूसरे स्तर पर संपर्क में आए लोगों की मैपिंग हुई। किसी को भी यहाँ आने के बाद बाहर जाने पर अनुमति नहीं दी गई।

5. तीसरा चरण

- प्रभावित क्षेत्रों को कोविड-19 सीमा क्षेत्र में बदलकर उन्हें जिले के बाकी हिस्सों से काट दिया गया। विदेश से लौटे जो लोग अपने घर गये और जिन परिजनों, रिश्तेदारों व दोस्तों से मिले पुलिस ने उन सब की सूची बनाई तथा उनके घरों के बाहर ड्रोन से निगरानी और पुलिस का पहरा लगाया गया। इस तरह यह मॉडल अपने उद्देश्य में सफल रहा।
- इसके अलावा मजदूरों को मुफ्त खाना, सोशल डिस्टेसिंग, ब्लैक मार्केटिंग पर रोक, नियमित स्वास्थ्य जाँच, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी भी इस मॉडल के आवश्यक अंग थे।
- इस मॉडल के तहत प्रतिदिन लगभग 150-200 नमूनों का परीक्षण किया गया। साथ ही कई नई परीक्षण प्रयोगशालायें शुरू की गई। 709 बेडवाला एक त्वरित कोविड-19 केयर संेटर बनाया गया।

6. आगरा मॉडल

- आगरा में क्लस्टर रोकथाम और कोविड-19 रोकथाम योजना के तहत, जिला प्रशासन ने संक्रमित केन्द्रों की पहचान की तथा माइक्रोप्लान के अनुसार विशेष कार्यबल का गठन किया।
- कोविड-19 हॉटस्पॉट को सक्रिय सर्वेक्षण और रोकथाम योजना के माध्यम से कई तरह से प्रतिबंधित किया गया। हॉटस्पॉट क्षेत्र को 3 किलोमीटर के उपकेन्द्रों तथा 5 किलोमीटर के बफर जोन में विभाजित किया गया।

7. भीलवाडा मॉडल

- इस मॉडल के तहत धारा 144 लगाये जाने के बाद भीलवाड़ा शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया।
- इसके तहत प्रथम चरण में आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ अनुमति दी गई जबकि दूसरे चरण में शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया।
- इस क्षेत्र में बसों, कारों, ट्रेनों, आदि जैसी परिवहन पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया तथा पड़ोसी जिलों के जिलाधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई।

8.पठानमचिट्ठा मॉडल

- केरल के पठानमचिट्ठा मॉडल में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया। जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जाँच की गई और एक डेटाबेस बनाया गया ताकि उन्हें इसकी सूचना दी जा सके।
- क्वारन्टीन की व्यवस्था की गई तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया गया।
- जागरूकता अभियान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित किये गये। खाने व रहने की सरकारी प्रयास सकारात्मक तरीके से लागू किया गया। स्क्रीनिंग की भी भरपूर व्यवस्था की गई।

04 चावल से हैंड सैनिटाइजर का निर्माण

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास उपलब्ध अधिशेष चावल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।
- भारत में फैल रहे कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी हैंड सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
- आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक एफसीआई के सरकारी गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान है, जिसमें चावल 30.97 मिलियन टन और गेहूँ 27.52 मिलियन टन है।

2. चावल से बनेगा एथनॉल

- सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के पैरा 5.3 के मुताबिक किसी वर्ष जब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से तय किये गये लक्ष्य से अधिक खाद्यान की आपूर्ति होती है तो राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीएफसी) से अनुमति लेकर खाद्यान की इस अतिरिक्त मात्रा को एथनॉल में बदलने की अनुमति दी जा सकती है।
- वर्तमान में एफसीआई के पास चावल की भारी मात्रा में स्टॉक है, इसलिए एफसीआई का कहना है कि इस अतिरिक्त चावल से सैनिटाइजर का निर्माण किया जा सकता है तथा चावल से एथनॉल बनाकर उसे पेट्रोल में मिलाकर भी बेचा जा सकता है। विदित हो कि भारत के पास 30.97 मिलियन टन चावल का भंडार है।

3.चावल के फायदे

- प्रतिदिन के भोजन में शामिल चावल, शरीर में कॉम्पलेक्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन-बी की आपूर्ति करता है। चावल को मांड के साथ खाना ज्यादा फायदेमंद होता है।
- चावल चूँकि आसानी से पच जाता है, इसलिए डायरिया व अपच होने पर चावल का सेवन करने से पाचनतंत्र सही रहता है।
- अतिसार और पेचिस की समस्या होने पर चावल का प्रयोग गाय के दूध या दही के साथ करने पर फायदेमंद होता है।
- इसके अलावा, माइग्रेन और यूरिन संबंधी रोगों में भी यह लाभदायक होता है।
- उल्लेखनीय है कि सरकार की इस कवायद का सीधा लाभ किसानों को होगा, क्योंकि वह धान की पैदावार को लेकर प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही यह भारत के लिए मौजूदा कोरोना संकट की परिस्थितियों में सैनेटाइजर की घरेलू एवं वैश्विक माँग पूरा करने का एक बड़ा आर्थिक अवसर प्रदान करेगा।

4. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

- भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई थी।
- इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं- गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, खाद्यानों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित रखना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना आदि।
- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सर्वाजनिक विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

05 सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान

1. चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस से फैले महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच गुजरात सरकार ने 'सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान' के तीसरे संस्करण के लिए हरी झण्डी दे दी है।
- गुजरात में भूमिगत जलस्तर को ऊंचा उठाने के महत्वाकांक्षी अभियान 'सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान' का राज्यव्यापी तीसरा चरण 20 अप्रैल से 10 जून के दौरान पूरा करने का गुजरात सरकार ने फैसला किया है।

2. पृष्ठभूमि

- सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के प्रथम संस्करण की शुरूआत 1 मई 2018 को शुरू की गई थी।
- राज्य में गहरे तालाबों, झीलों, नदियों, चेक-डैम और जलाशयों के माध्यम से अब तक जल भंडारण क्षमता 23,000 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है।

3. सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान

- यह गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जल निकायों को गहरा आकार दिया जाता है।
- सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना का उद्देश्य वर्षा ऋतु के आने से पहले राज्य के जलाशयों को गहरा करना है जिससे कि उनमें अधिक से अधिक वर्षा जल जमा हो सके और जल के अभाव के समय इसका उपयोग किया जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत सभी जलाशयों को साफ किया जाता है तथा गाद हटाया जाता है। (गाद का उपयोग किसान अपने खेतों के उपज बढ़ाने में कर सकते हैं।)
- यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर आधारित हैं, इसमें होने वाले खर्च का 60% राज्य सरकार और 40 प्रतिशत निजी क्षेत्रों के योगदान से पूरा होता है।

4. सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के प्रावधान

- यह जन भागीदारी एवं मनरेगा के अंतर्गत शुरू हुई योजना है।
- राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक श्रमिक को मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किया जाए।
- राज्य सरकार के अनुसार खुदाई से मिलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल आस-पास चल रहे सरकारी कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में और किसानों के खेतों में किया जा सकता है।
- सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए नियमों का पालन करते हुए ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

5. मनरेगा कार्यक्रम

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में प्रस्तुत किया गया था।
- यह ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा एवं शहरी पलायन को रोकने के उद्देश्य से वर्ष में 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है।
- वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल से राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है।

06 फेलूदा और क्रिस्पर (CRISPR) तकनीक

1. चर्चा का कारण

- भारतीय वैज्ञानिकों ने एक पेपर-बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप बनाने में सफलता हासिल की है जो COVID-19 वायरस के संक्रमण को डिटेक्ट कर सकती है।
- भारत के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म के एक काल्पनिक जासूस 'फेलूदा' के नाम पर इसका नाम रखा गया है।

2. फेलूदा

- यह एक कम लागत वाली पेपर-स्ट्रिप टेस्ट है जो एक घण्टे के भीतर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जाँच कर सकता है।
- काउसिंल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) की सहायक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) द्वारा इस किट को बनाया गया है।
- निजी प्रयोगशालाओं में 4500रु की लागत वाले RT-PCR (Reverse Transcripition Polymerase chain reaction) टेस्ट की तुलना में इसकी कीमत 500रुपयें है।
- इस जाँच को जीवाणु प्रतिरक्षा प्रोटीन प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जिसे Cas 9 कहा जाता है।
- इसमें अत्याधुनिक Crispr-Cas9 जीन-एडिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है।

3.जीन एवं जीन एडिटिंग

- DNA की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों (लंबाई, त्वचा या बालों का रंग) का धारण एवं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है।
- जीन एडिटिंग का उद्देश्य जीन थेरेपी है जिसके द्वारा खराब जीन को निष्क्रिय किया जा सके या किसी अच्छे जीन को नष्ट होने की स्थिति में उसकी आपूर्ति की जा सके।

4. CRISPR-Cas9

- CRISPR (Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats) डीएनए में पाये जाने वाले विशेष खण्ड होतें हैं और Cas-9 प्रोटीन से बना एक एजांइम होता है।
- यह तकनीक मूल रूप से एक जीन-एडिटिंग तकनीक है।
- CRISPR-Cas9 तकनीक एक आणविक कैंची की तरह कार्य करता है जो जीन में उपस्थित डीएनए को दो स्टैंड में काट सकता है ताकि डीएनए के टुकड़े को फिर से जोड़ा या हटाया जा सके।

5. CRISPR-Cas 9 तकनीक से संबंधित चिंताएं

- मानव के आनुवंशिक कोड के साथ छेड़-छाड़ से जीन संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं।
- अध्ययनों के अनुसार, CRISPR-Cas9 तकनीक में एडिटिंग कोशिकाएं कैंसर को ट्रिगर कर सकती हैं।
- इस तकनीक में जीन उत्परिवर्तन का खतरा बढ़ सकता है।

07 खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crisis) का नया संस्करण जारी किया गया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण कमजोर एवं अविकसित देशों में खाद्य संकट की स्थिति गंभीर हो सकती है।

2. रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 के अंत तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का सामना कर सकते हैं।
- इसके अनुसार खाद्य संकट का सबसे ज्यादा सामना अफ्रीका के लोगों को करना पड़ सकता है, इसके बाद मध्य-पूर्व एशिया में रहने वाले लोगों करना पड़ सकता है।
- रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि 55 देशों के साढ़े सात करोड़ बच्चे कम लम्बाई से पीड़ित हैं और डेढ़ करोड़ बच्चों का पर्याप्त विकास नही हो पा रहा है, इनमें से 90 लाख बच्चे खाद्य संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में हैं।
- 'ग्लोबल नेटवर्क अंगेस्ट फूड क्राइसिस' के अनुसार कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के कारण लोगों की आजीविका के साधन चले गये तो फिर खाद्य के लिए और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।

3. ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा लिए गए संकल्प

- खाद्य संकट की समस्या को कम करने के लिए यथार्थ आकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाना होगा।
- मानवीय एवं विकास कार्यो में समन्वय बेहतर करना होगा।
- कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य प्रणाली या आर्थिक सुरक्षा का ढ़ाँचा जिन देशों या क्षेत्रों में कमजोर है, वहाँ दी जाने वाली सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए।

4. ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस

- ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एक पहल है जिसे 2016 में मानवीय शिखर सम्मेलन (World Humanitarian Summit) के समय यूरोपीय संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा शुरू किया गया था।
- इस पहल का आधार, लम्बे समय तक चलने वाली खाद्य समस्याओं और बार-बार आने वाली आपदाओं के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया जाना है।
- ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के अनुसार विकास एवं मानवतावादी प्रतिभागियों के बीच की दूरी को कम कर, विश्वव्यापी क्षति और जोखिम में कमी लायी जा सकती है।

5. खाद्य एवं कृषि संगठन

- खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषता प्राप्त एजेंसियों में से एक है।
- खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना साल 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के अधिदेश के साथ की गई थी।

6. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme)

- विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है, जो भूख संबंधी समस्या का निदान करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है।
- भारत सरकार तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं, विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से प्राप्त करता है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 रेमिटेंस (प्रेषण) पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

प्र. रेमिटेंस पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
2. वर्ष 2019 में भारत में रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होने वाले धन में 5.5% की वृद्धि के साथ कुल 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे।
3. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में पाकिस्तान का रेमिटेंस 23% की गिरावट के साथ 17 बिलियन डॉलर पहुँच सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 के समय रेमिटेंस पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। भारत वर्ष 2019 में रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होने वाले धन में 5.5% की वृद्धि के साथ कुल 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में पाकिस्तान का रेमिटेंस 23% घटकर 17 बिलियन डॉलर पहुँच सकता है। इस तरह तीनों कथन सहीं हैं। अत: उत्तर (d) होगा।

02 स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए लाया गया अध्यादेश हिंसा को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रावधान करता है।
2. इस अध्यादेश में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की चोट या ऐसी संपत्ति को नुकसान या क्षति, जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की महामारी के संबंध में अपरोक्ष हित निहित हो, के क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
3. स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट करने की स्थिति में, अभियुक्त को 4 महीने से 5 साल के बीच सजा सुनाई जा सकती है।
4. इसके अंतर्गत 60 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 4 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जो अध्यादेश लाया गया है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट लगने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने से 7 साल के बीच सजा सुनाई जा सकती है। यहीं नही इसके तहत 30 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जाँच की जाएगी। इस तरह कथन 3 और 4 गलत हैं, अत: उत्तर (b) होगा।

03 केरल का कासरगोड मॉडल

प्र. दिए गये कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) केरल का कासरगोड मॉडल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया है।

(b) कासरगोड मॉडल को पाँच स्तरों पर बनाया गया है।

(c) भीलवाड़ा मॉडल कोविड-19 से निपटने के लिए राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है।

(d) पठानमचिट्ठा मॉडल केरल में कोविड-19 से बचने के लिए शुरू किया गया है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: केरल के कासरगोड मॉडल के तहत कोविड-19 पर केरल में विजय प्राप्त की गई जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इस मॉडल को तीन स्तरों पर (न कि पाँच स्तर) बनाया गया है। इस तरह कथन (b) गलत है, इसलिए उत्तर (b) होगा।

04 चावल से हैंड सैनिटाइजर का निर्माण

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केन्द्र सरकार ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को मंजूरी दे दी है।
2. आधिकारिक ऑंकड़ों के अनुसार एफसीआई के सरकारी गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान्न है, जिसमें चावल 30.97 मिलियन टन है।
3. एफसीआई की स्थापना 1965 में खाद्यान्न निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) उपरोक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्र सरकार ने अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास उपलब्ध अधिशेष चावल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। उपलब्ध ऑंकड़ों के मुताबिक एफसीआई के सरकारी गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान है, जिसमें चावल 30.97 मिलियन टन और गेहूँ 27.52 मिलियन टन है। एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी। इस तरह तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर (c) होगा।

05 सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान

प्र. सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह अभियान राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जल निकायों को गहरा आकार दिया जाता है।
2. यह योजना पूर्णत: केन्द्र सरकार प्रायोजित है, इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।
3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को भारत सरकार द्वारा 2005 में प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जल निकायों को गहरा आकार दिया जाता है। इस तरह कथन 1 गलत है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर आधारित है, इसमें होने वाले खर्च का 60% राज्य सरकार और 40% निजी क्षेत्रों के योगदान से पूरा होता है। इस तरह कथन 2 भी गलत है। अत: उत्तर (c) होगा।

06 फेलूदा और क्रिस्पर (CRISPR) तकनीक

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फेलूदा कोविड-19 परीक्षण की एक पेपर-स्ट्रिप टेस्ट किट है।
2. इसका निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा किया गया है।
3. इसमें CRISPR-Cas9 तकनीकी का उपयोग किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: फेलूदा एक कम लागत वाला पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जो एक घण्टे के भीतर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जाँच कर सकता है। इसका निर्माण सीएसआईआर की सहायक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा किया गया है। इसमें अत्याधुनिक CRISPR-Cas9 जीनएडिटिंग तकनीकी का उपयोग किया गया है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर (c) होगा।

07 खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट क्राइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 के अंत तक पूरे विश्व में 25 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं।
2. ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एक पहल है, जिसे वर्ष 2010 में मानवीय शिखर सम्मेलन के समय शुरू किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट क्राइसिस द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 के अंत तक पूरे विश्व में 25 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एक पहल है जिसे वर्ष 2016 (न कि 2010) में मानवीय शिखर सम्मेलन के समय यूरोपीय संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। इस तरह कथन 2 गलत है। इसलिए उत्तर (a) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदिवासी स्कूलों में शिक्षकों के 100 प्रतिशत आरक्षण पर रोक

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100 फीसदी पद अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित करने के आंध्र प्रदेश के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह मनमाना है और संविधान के अंतर्गत इसकी इजाजत नहीं है।
- न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधि सूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ायेंगे।
- संविधान पीठ ने अपने निर्णय में 1992 के इन्दिरा साहनी फैसले का जिक्र किया। पीठ ने कहा कि इस फैसले में शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी यह परिकल्पना नहीं की थी कि सभी स्थानों के लिये आरक्षण होगा। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस शामिल थे।
- पीठ ने कहा कि 1992 के फैसले के अनुसार विशेष मामले में ही 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन इसमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। पीठ ने कहा, "अधिसूचित इलाकों में 100 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने के लिये कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं। यह बेतुका विचार है कि आदिवासियों को सिर्फ आदिवासियों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। यह समझ से परे है कि जब दूसरे स्थानीय निवासी हैं तो वे क्यों नहीं पढ़ा सकते।"
- पीठ ने कहा कि यह कार्रवाई तर्क के परे है और मनमानी है। शत प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके मैरिट को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। पीठ ने अपने 752 पेज के फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि आजादी हासिल करने के 72 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद हम अभी तक समाज के निचले स्तर अर्थात वंचित वर्ग तक यह लाभ नहीं पहुंचा सके हैं।
- पीठ ने अपने फैसले में इस तथ्य का भी जिक्र किया कि 1986 में भी तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने इसी तरह का आदेश दिया था जिसे राज्य प्रशासनिक अधिकरण ने रद्द कर दिया था। अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गयी थी लेकिन 1998 में इसे वापस ले लिया गया था।
- पीठ ने कहा कि यह अपील वापस लिये जाने के बाद अपेक्षा की जा रही थी कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करने की कवायद दुबारा नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि विचित्र परिस्थितियों को देखते हुये हम इस शर्त के साथ नियुक्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भविष्य में दुबारा ऐसा नहीं करेंगे और यदि वे ऐसा करते हैं और आरक्षण की सीमा लांघते हैं तो उनके लिये 1986 से आज तक की गयी नियुक्तियों के बचाव के लिये कुछ नहीं होगा।
- न्यायालय ने इस अपील पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया जिसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बराबर-बराबर वहन करना होगा।

02 अंबुबाची मेला

- विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 को देखते हुए असम में होने वाले अंबुबाची मेले का आयोजन इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माँ कामाख्या पावन धाम पर प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला 22 जून से प्रारंभ होता है।

क्या है अंबुबाची

- अंबुबाची शब्द अंबु और बाची दो शब्दों को मिलाकर बना है। जिसमें अंबु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उत्फूलन। यह शब्द स्त्रियों की शक्ति और उनके जन्म क्षमता को दर्शाता है। यह मेला उस समय लगता है जब मां कामाख्या ऋतुमति रहती हैं। अंबुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट बंद हो जाते हैं। उनके दर्शन निषेध हो जाते हैं। तीन दिनों के बाद मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एंव साधना

की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर शृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है।

- देवी का योनिमुद्रापीठ दस सीढ़ी नीचे एक गुफा में स्थित है। यहां हमेशा अखंड दीपक जलता रहता है। यहां आने जाने का मार्ग भी अलग बना है। इस मेला के दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। कहते हैं कि देवी रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा के आसपास सफेद वस्त्र को बिछा दिए जाते हैं। तब यह वस्त्र माता के रज से रक्तवर्ण हो जाता है। उसी को भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दिन से यहां के कृषक भी अपनी खेतों में काम प्रारंभ करते हैं।

- इस त्यौहार को पूर्व के 'महाकुंभ' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। देवी को मनाने वाला अनुष्ठान मेला का एक महत्त्वपूर्ण कारण है कि भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ कम हैं। असम में लड़कियों की नारीत्व की प्राप्ति एक रस्म के साथ मनाई जाती है जिसे 'तुलोनी बया' कहा जाता है जिसका अर्थ है छोटी शादी। अम्बुबाची मेला मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर के रूप में भी जाना जाता है।

03 विश्व मलेरिया दिवस:2020

- विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और इसे खत्म करने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके।
- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लास्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया को रोकने और जान बचाने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया है। इस दिन को मनाने के लिए कई जागरूकता अभियान और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इतिहास

- विश्व मलेरिया दिवस को अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था जो पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करना था और अफ्रीकी देशों में इसकी मृत्यु दर को कम करता था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के 60वें सत्र में, 2007 में एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाए।
- विश्व मलेरिया दिवस नए दाताओं को मलेरिया के खिलाफ एक वैश्विक साझेदारी में शामिल होने में सक्षम बनाता है, और अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जनता के लिए वैज्ञानिक प्रगति को प्रकट करता है।
- यह दिन अंतरराष्ट्रीय साझेदारों, कंपनियों और फाउंडेशनों को अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने का मौका देता है और यह दर्शाता है कि किस तरह काम किया जाता है।
- विश्व मलेरिया पर डब्ल्यूएचओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2017 के बीच मलेरिया के मामलों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। यही कारण है कि मलेरिया के कारण होने वाली मौतें पिछले वर्ष लगभग अपरिवर्तित रहीं जो 435000 थी।
- सबसे पहली बार 'विश्व मलेरिया दिवस' 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। UNICEF द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं।

विश्व मलेरिया दिवस 2020: थीम

- विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम है "Zero malaria starts with me-"
- मलेरिया को खत्म करने के लिए और "Zero malaria starts with me" को बढ़ावा देने के लिए WHO ने RBM पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। यह एक जमीनी स्तर पर अभियान है, इसमें अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना समुदायों को मलेरिया की रोकथाम और देखभाल के लिए सशक्त बनाना है।
- WHO के अनुसार, 2000 और 2014 के बीच, दुनिया भर में मलेरिया से संबंधित मौतों की संख्या में 40% की गिरावट आई। हालांकि WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि 2014-2018 की इस अवधि में नए संक्रमणों को कम करने में कोई वैश्विक लाभ नहीं हुआ। 2018 में भी लगभग इतने ही लोग मलेरिया से मरे हैं जितने की एक साल पहले।

भारत की स्थिति

- एक रिपोर्ट के अनुसार,भारत में हर साल लगभग 18 लाख लोगों को मलेरिया की बीमारी से जूझना पड़ता है। पूरी दुनिया में मलेरिया से प्रभावित देशों में से 80 फीसदी केस भारत, इथियोपिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के होते हैं। भारत की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के टाइप पी विवेक्स में पूरी दुनिया में 80 फीसदी मामले ज्यादातर तीन देशों में सामने आते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।

04 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक

- विश्व बैंक द्वारा हाल ही में अप्रैल 2020 का "कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक" (Commodity Markets Outlook) जारी किया गया। यह आउटलुक मुख्य उपभोक्ता वस्तु समूहों के विषय में बाजार विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जैसे-ऊर्जा, धातु, कृषि, मूल्यवान धातु और खाद। यह प्रतिवेदन पेट्रोलियम सहित 46 मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम की भविष्यवाणी करता है। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में छपता है।
- कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक औद्योगिक मांग में काफी गिरावट हुई है, जिसका प्रभाव वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अधिकांश धातु की कीमतों पर देखने को मिला है और धातु की कीमतों में काफी गिरावट आई है। वर्ष 2020 में धातु की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, क्योंकि वैश्विक मांग में कमी आई है और प्रमुख उद्योग बंद हो गए हैं। धातु की कीमतें मुख्य रूप से वैश्विक गतिविधियों में मंदी से प्रभावित हुई हैं, विशेष रूप से चीन में जिसकी वैश्विक

स्तर पर धातु की मांग में आधे से अधिक हिस्सेदारी है।
- कोविड-19 के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और आपूर्ति दुष्प्रभावित हो रही है क्योंकि हर जगह तालाबंदी हो रही है और आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई हैं। विशेषकर परिवहन से जुड़ी उपभोक्ता वस्तुओं पर घोर संकट आ गया है। तेल के दाम एक दम से नीचे आ गये हैं। कच्चे तेल की मांग वर्ष 2020 में लगभग 10 प्रतिशत घटने की उम्मीद है, जो बीते किसी भी गिरावट के मुकाबले दोगुना है। वैसे तो खाद्य बाजारों में आपूर्ति ठीक ठाक है, परन्तु, कई देशों द्वारा व्यापार प्रतिबंध घोषित करने और आवश्यकता से अधिक क्रय करने से खाद्य सुरक्षा चिंतनीय हो गई है। हालाँकि कृषि उत्पादों की कीमतों पर इसका कुछ अधिक प्रभाव नहीं हुआ है, किंतु आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, निर्यात प्रतिबंध और सरकार द्वारा किये गए भंडारण ने आम नागरिकों के समक्ष खाद्य असुरक्षा की चुनौती उत्पन्न कर दी है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप होने से ताम्बे, जस्ते और अन्य धातुओं जैसी औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम इस वर्ष घटते चले जायेंगे। इस महामारी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्भर उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सर्वाधिक क्षति पहुंचेगी।

05 ई ग्राम स्वराज पोर्टल

- ई ग्राम स्वराज पोर्टल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने E-Gram Swaraj App को भी लॉन्च किया है। यह पोर्टल और ऐप देश भर में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करेगें। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायत विकास कार्यो, उनके खंड और कामकाज की जानकारी गाँव के सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर होगी ग्राम पंचायत की हर जानकारी

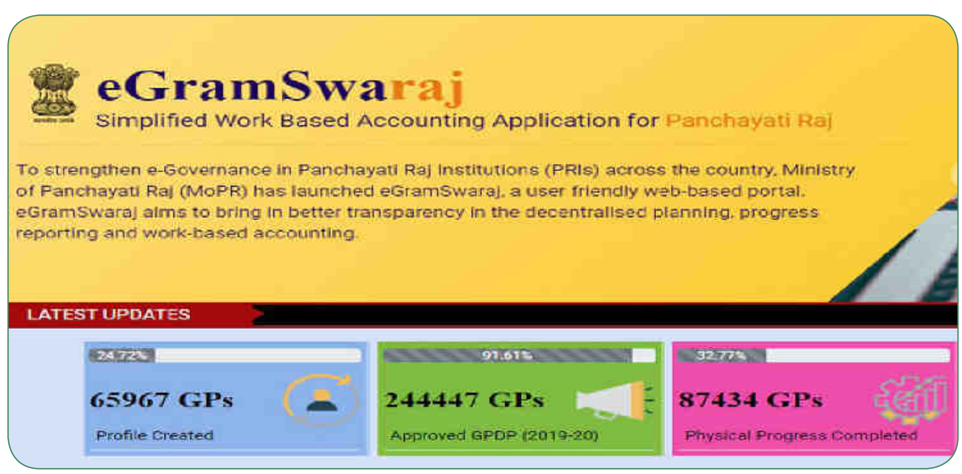

- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिये ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना संकट से हमें सबक मिला है कि अब आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। कोरोना संकट के बीच गांव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) ही नहीं बल्कि 'दो गज दूरी' का संदेश दिया। ऐसी मुसीबतों से निपटने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होगी, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
- ई-ग्राम ऐप के जरिये ग्राम पंचायतों के फंड (Funds), उसके कामकाज की पूरी जानकारी

ग्रामीणों को उपलब्ध होगी। इससे ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही परियोजनाओं को पूरा करने के काम में भी तेजी आएगी। ई-ग्राम स्वराज ऐप (E-Gram Swaraj App) पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा।

- ई-ग्राम स्वराज ऐप से पंचायत में होने वाले विकास कार्यों, खर्च होने वाले फंड और आने वाली योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इस ऐप के जरिये गांव के हर व्यक्ति को पता होगा कि उसके क्षेत्र में क्या योजना चल रही है। उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये दोनों जानकारियां हर ग्रामीण के पास होने से पंचायतों के काम में पारदर्शिता आना तय है।
- इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की भी शुरूआत की है।
- स्वामित्व योजना 2020 के जरिये ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को कई फायदे होंगे। इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म हो जाएंगे। इससे गांव में विकास कार्यों की योजना बनाने में मदद मिलेगी, इसके अलावा शहरों की ही तरह अब गांवों में भी लोग बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी।
- इससे लोगों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे, साथ ही विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। वहीं, शहरों की ही तरह ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों पर बैंक आसानी से कर्ज दे सकेंगे। अभी स्वामित्व योजना को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड में ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इसके बाद इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा।

06 बसवा जयंती

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं सदी के कर्नाटक के समाज सुधारक और वीरशैव लिंगायत समाज की संस्थापक भगवान बसवेश्वर की जयंती पर शुभकामनाएं दी।

महात्मा बसवेश्वर के बारे में

- महात्मा बसवेश्वर का जन्म 1134 ईसवी. में कर्नाटक के बीजापुर जिला स्थित भागेवाड़ी में हुआ था। उन्होंने उपनयन संस्कार (जनेऊ धारण) होने के बाद सिर्फ 8 साल की आयु में ही इस जनेऊ के धागे को तोड़ दिया था। महात्मा बसवेश्वर बीदर जिले के बसवकल्याण के राजा बिज्जल के पास मंत्री भी रहे और उस दौरान कई पदों पर अपनी सेवाएं भी दी थीं। उन्होंने गरीब-अमीर और जात-पात के नाम पर समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी।
- महात्मा बसवेश्वर को हिन्दू धर्म में जाति व्यवस्था और समाज की अन्य कुरुतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए भी जाना जाता है। महात्मा बसवेश्वर को विश्वगुरु, भक्ति भंडारी तथा बसव के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने लिंग, जाति-धर्म, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बगैर लोगों को बराबर के अवसर देने की वकालत की और उनका मानना था कि भगवान निराकार है।

महात्मा बसवेश्वर का योगदान

- महात्मा बसवेश्वर ने 800 साल पहले नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। साथ ही वो शिव के उपासक थे और उन्होंने मठों, मंदिरों में फैली कुरीतियों, अंध विश्वासों और अमीरों की सत्ता को चुनौती दी। ब्राह्मण परिवार में जन्मे बसवेश्वर ने ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी व्यवस्था का विरोध किया। वे जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास करते थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए इस नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम लिंगायत था।
- संत बसवेश्वर द्वारा स्थापित इस लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है और राज्य की कुल आबादी का 18 फीसदी लिंगायत हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी लिंगायतों की अच्छी खासी आबादी है।
- लिंगायत सम्प्रदाय के लोग ना तो वेदों में विश्वास रखते हैं और ना ही मूर्ति पूजा में। हालांकि लिंगायत भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन उनके प्रतीक रूप इष्टलिंग की पूजा करने के तरीकों की चर्चा करते हैं। लिंगायतों का इष्टलिंग अंडे की गेंदनुमा आकृति होती है जिसे वे धागे से अपने गले में बांधते हैं और उसे आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार निराकार परमात्मा को मानव या प्राणियों के आकार में कल्पित न करके विश्व के आकार में इष्टलिंग की रचना की गई है।

07 सऊदी अरब का मानवाधिकार की दिशा में बड़ा कदम

- कोरोना वायरस महासंकट के बीच सऊदी अरब ने मानवाधिकारों के हक में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी उच्चतम न्यायालय ने देश में कोड़े मारने की सजा खत्म करने की घोषणा की है। सऊदी अरब के शाह और युवराज (क्राउन प्रिंस) द्वारा मानवाधिकार की दिशा में उठाया गया यह ताजा कदम सराहनीय है। देश की अदालतों द्वारा दी जाने वाले कोड़े मारने की सजा का पूरी दुनिया के मानवाधिकार समूह विरोध करते हैं क्योंकि कई बार अदालतें 100 कोड़े तक मारने की सजा सुनाती हैं।
- सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ताजा सुधार का लक्ष्य देश को शारीरिक दंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानदंडों के और करीब लाना है। फिलहाल विवाहेत्तर यौन संबंध, शांति भंग करना और हत्या तक के मामलों में अदालतें आसानी से दोषी को कोड़े मारने की सजा सुना सकती थीं। न्यायालय ने एक बयान में कहा है कि भविष्य में न्यायाधीशों को जुर्माना, जेल या फिर सामुदायिक सेवा जैसी सजाएं चुननी होंगी।
- हाल के वर्षों में सऊदी में कोड़े मारने की सजा उस समय बहुत सुर्खियों में आई थी जब 2014 में ब्लॉगर रइफ बादावी को इस्लाम की तौहीन का दोषी बताते हुए 40 साल कैद और 1000 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी।
- हाल ही में 69 वर्षीय एक्टिविस्ट अब्दुल्ला अल-हमीद की कैद में स्ट्रोक से मौत के बाद सऊदी अरब में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद सरकार ने यह फैसला किया है। प्रिंस मोहम्मद क्राउंस प्रिंस के बागडोर संभालने के बाद सऊदी अरब में मानवाधिकारों का रिकॉर्ड खराब हुआ है। ऐसे में कोड़े मारने की सजा को खत्म करने का कदम बेहद महत्वपूर्ण है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। यह अध्यादेश स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

02 कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण ने अमेरिका और चीन के बीच गतिरोध को अत्यधिक बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता गतिरोध वैश्विक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा? उल्लेख करें।

03 सुजलाम सुफलाम अभियान क्या है? क्या यह अभियान भारत में जलसंचय को एक नई दिशा देगा? उदाहरण सहित व्याख्या करें।

04 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोविड-19 महामारी न सिर्फ भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व के अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? चर्चा करें।

05 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज' अभियान क्या है? इस अभियान से स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है? उल्लेख करें।

06 "भारत गाँवों में बसता है तथा गाँवों का समुचित विकास करके ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है"। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इस कथन की उदाहरण सहित चर्चा करें।

07 किसी व्यक्ति द्वारा नैतिक निर्णय लेने में 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' किस प्रकार सहायक हो सकती है? चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

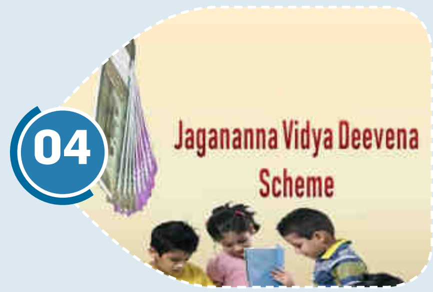

01 वह जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है?

- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

02 वह केन्द्रीय मंत्रालय, जिसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है?

- केन्द्रीय वित्त मंत्रालय

03 किस देश ने अपनी धरती से ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है?

- जर्मनी

04 किस राज्य ने गरीब छात्रों के लिए 'जगन्नाण विद्या दीवेना' योजना शुरू की है?

- आन्ध्र प्रदेश

05 कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं के लिए सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है?

- अस्पताल देखभाल सहायक रोबोट डिवाइस (HCARD)

06 वह देश, जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया?

- ईरान

07 वह प्रथम अरब देश, जिसके द्वारा मारिजुआना (भाँग) की खेती को वैधता प्रदान की गई?

- लेबनान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 आपकी मान्यताएँ आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है।

- महात्मा गांधी

02 किसी कार्य के प्रति जुनून उस काम को बार-बार कर अलग-अलग परिणामों की उम्मीद रखने में होता है।

- अल्बर्ट आइंस्टीन

03 मनुष्य द्वारा किया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दुसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।

- प्लेटो

04 हमेशा ध्यान में रखिये की आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्त्वपूर्ण है।

- अब्राहम लिंकन

05 हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिये हमला कर रहा है।

- जवाहर लाल नेहरू

06 कानून की पवित्रता केवल तब तक बनी रह सकती है जब तक यह लोगों की अभिव्यक्ति हो।

- भगत सिंह

07 मुझे ज्ञान के लिए सीमा निर्धारित करना था ताकि विश्वास के लिए जगह बना सकूँ।

- इम्मानुअल काण्ट

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price | ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

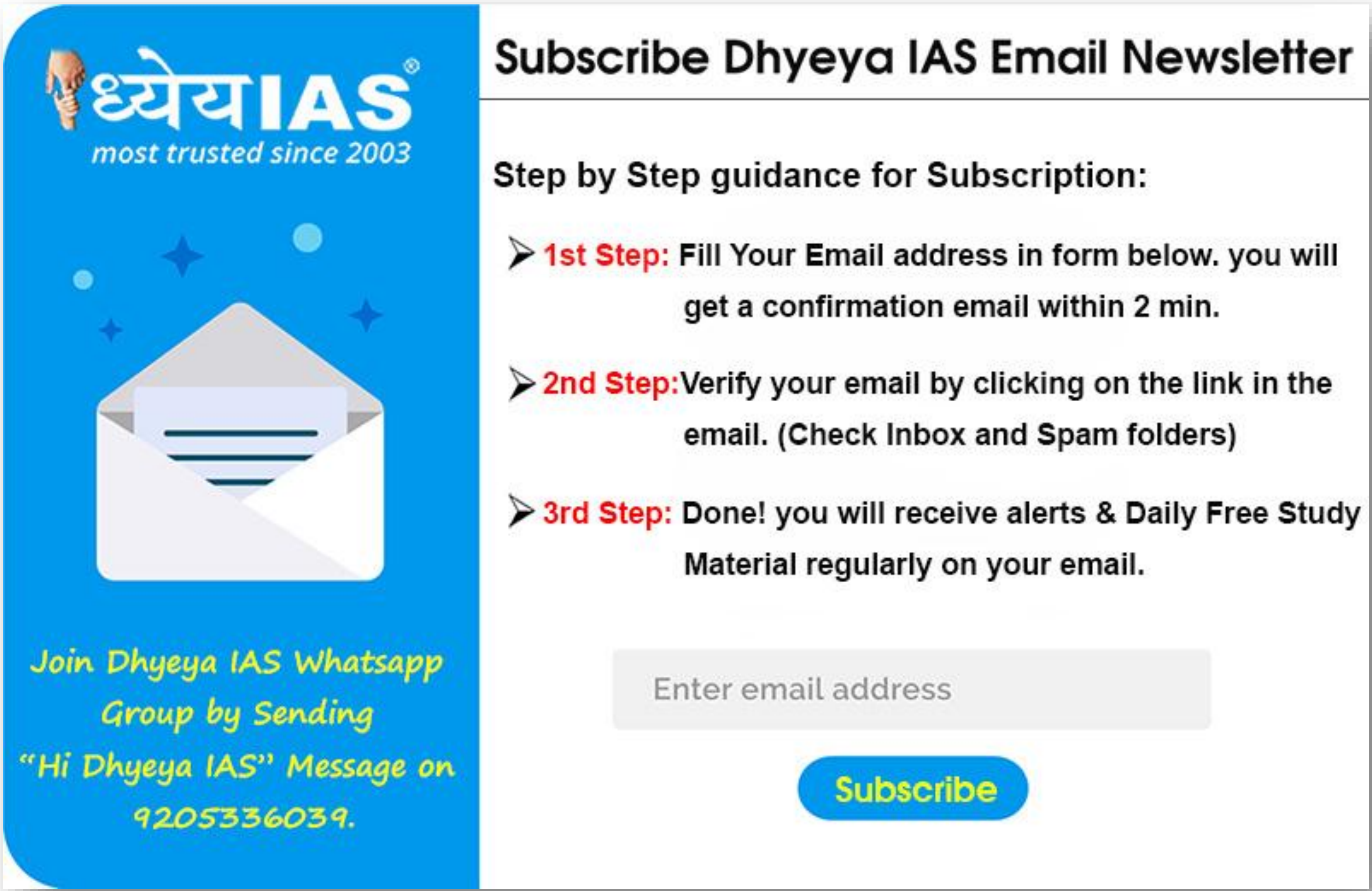

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400